

अध्याय 2
सरकारी कम्पनियों से
सम्बन्धित निष्पादन
लेखा परीक्षा

v/; k; -II

2. I jdkjh dEi fu; ka l s l EcfU/kr fu"i knu ys[kk ijh{kk

2.1 mÜkj inš'k ou fuxe }kjk oukš t ds l xg.k , oa fuLrkj.k ij fu"i knu ys[kk ijh{kk

dk; Œdkjh I kjk'k

iLrkouk

उत्तर प्रदेश वन निगम (निगम) की स्थापना नवम्बर 1974 में राज्य में वन के बेहतर संरक्षण, विकास एवं वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन हेतु स्थानीय निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (अधिनियम) के अन्तर्गत हुई थी। निगम के मुख्य क्रिया-कलापों में वनोपज (प्रकाष्ठ, जलौनी, तेन्दू पत्ता, बाँस, जड़ी-बूटी एवं भाभड़ घास) का उत्पादन/संग्रहण एवं निस्तारण सम्मिलित हैं।

¶i Lrj 2-1-1½

निगम के विभिन्न अनुभागों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा नीचे की गयी है:-

Xkksy i Œk"B

- 378 से 1177 लाटों का लॉगिंग कार्य, लॉगिंग वर्ष में प्रारम्भ नहीं हो सका। फलस्वरूप, 3,604 अछूती लाटों पर एवं 2009-10 से 2013-14 के दौरान वन विभाग को आगामी वर्षों में पुनर्आवंटन हेतु वापस की गयी 2,124 लाटों पर उच्च दरों पर रायल्टी का भुगतान करना पड़ा।

¶i Lrj 2-1-8½

- निगम ने निर्मित बोटों के आयतन की गणना हेतु क्वार्टर गर्थ सूत्र अपनाया जिससे आयतन की गणना, वास्तविक आयतन के 78.60 प्रतिशत पर हुई। हरे एवं सूखे प्रकाष्ठ के लिए भिन्न आधार मूल्य निर्धारित नहीं करने के कारण वह उच्चतर वसूली करने में असफल रहा।

¶i Lrj 2-1-9 , 10 2-1-10½

- छः प्रभागों में, वास्तविक उत्पादन, अपेक्षित उत्पादन से 15,920 घन मी0 कम रहा जिसके कारण ₹ 15.81 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

¶i Lrj 2-1-11½

- पिछले लॉगिंग वर्ष की तुलना में औसत विक्रय मूल्य में वृद्धि से कम दर पर आधार मूल्य पुनरीक्षित करने के कारण निगम, सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने में असफल रहा एवं आधार मूल्य पुनरीक्षित करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया।

¶i Lrj 2-1-15 , oa 2-1-16½

ranw i Ükk

- तेन्दू पत्ता संग्रहणकर्ताओं को संग्रहण के एक से सात माह बाद भुगतान किया गया। कर्वी एवं रेनुकूट प्रभागों में वर्ष 2009-10 से 2013-14 से संबंधित 13,467 मानक बोरो के लिए ₹ 91.34 लाख के संग्रहण शुल्क का भुगतान अब तक नहीं किया गया।

¶i Lrj 2-1-20½

- निगम ने वर्षा प्रभावित तेंदू पत्ता हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं किये। तेंदू पत्ता को वर्षा से सुरक्षित करने में असफलता एवं गुणवत्ता में गिरावट के कारण निगम को वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान वर्षा प्रभावित 24,907 मानक बोरो के सापेक्ष ₹ 2.15 करोड़ की हानि हुई।

¼i Lrj 2-1-22¼

- रेनुकूट प्रभाग की जिन 20 इकाइयों में मौसम 2012 एवं 2013 में तेंदू कल्चर किया गया था, उनमें से प्रत्येक पाँच इकाइयों में तेंदू पत्ता का उत्पादन तथा प्रति मानक बोरा वजन उनके पिछले तीन वर्षों के तदनुरूप औसत से घटा। कर्वी प्रभाग में तेंदू मौसम 2011 से 2013 में 27 में से 11 इकाइयों में जहाँ तेंदू कल्चर किया गया था, प्रति मानक बोरा औसत वजन उनके संबंधित नियंत्रण इकाइयों के औसत वजन से कम रहा।

¼i Lrj 2-1-24¼

- निगम तेंदू पत्ता के सम्पूर्ण भण्डार को संबंधित संग्रहण वर्ष में निस्तारित करने में असफल रहा और ₹ 4.49 करोड़ की हानि वहन की।

¼i Lrj 2-1-26¼

- निगम ने 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार को तेंदू पत्ता पर ₹ 201.52 करोड़ की रायल्टी का कम भुगतान किया।

¼i Lrj 2-1-27¼

vkUrfjd fu; æ.k , oa vuqo.k

- निगम की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावी नहीं थी क्योंकि यह न्यूनतम परिधि के बोटों का उत्पादन सुनिश्चित करने में, बूट व प्रथम बोटे की निचली परिधि के माप में अंतर पता लगाने में, उत्पादन के लिए निर्धारित अभिलेखों का रख-रखाव सुनिश्चित करने में तथा पातन के पश्चात् निर्धारित समय में विभाग को साइटें हस्तगत करने में असफल रहा।

¼i Lrj 2-1-28¼

i Lrkouk

2-1-1 उत्तरप्रदेश वन निगम (निगम) की स्थापना नवम्बर 1974 में राज्य में वन के संरक्षण, विकास एवं वनोंपज के वैज्ञानिक विदोहन हेतु स्थानीय निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (अधिनियम) के अन्तर्गत हुई थी। निगम के मुख्य क्रिया-कलापों में वनोंपज (प्रकाष्ठ, जलौनी, तेन्दू पत्ता, बाँस, जड़ी-बूटी एवं भाभड़ घास) का उत्पादन/संग्रहण एवं निस्तारण सम्मिलित है।

वनोपज के उत्पादन/संग्रहण के लिए निगम को उत्तर प्रदेश सरकार को उसके द्वारा निर्धारित दरों पर रायल्टी का भुगतान करना होता है। रायल्टी की दरों का निर्धारण प्रति वर्ष, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार वन विभाग (विभाग), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है।

2009-10 से 2013-14 के पाँच वर्षों के दौरान निगम का कुल आवर्त, उत्तर प्रदेश सरकार को भुगतान की गयी रायल्टी एवं लाभ का विवरण सारिणी 2.1.1 में दर्शाया गया है:

I kfj . kh-2.1.1

(o"kbkj vkor] Hkqrku dh x; h jk; YVh , oa ykHk)

Øe l 0	fooj .k	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	; kx	dky vkor] dk i fr'kr
	ouki t dk vkor]							
1	गोल प्रकाष्ठ	244.65	284.62	295.29	311.22	376.26	1512.04	87.89
2	जलौनी	4.71	6.09	2.99	2.83	2.91	19.53	1.13
3	बॉस	0.57	0.66	0.51	0.61	0.84	3.19	0.18
4	तेन्दू पत्ता	33.05	38.33	41.01	46.29	26.18	184.86	10.75
5	जड़ी बूटी	0.16	0.20	0.10	0.14	0.10	0.70	0.04
6	भाभड़ घांस एवं अन्य	0.02	0.00	0.01	0.05	0.02	0.10	0.01
7	dky vkor] (1 l s6)	283.16	329.90	339.91	361.14	406.31	1720.42	100.00
8	रहतिआ में वृद्धि / कमी (-)	17.87	13.51	-5.26	43.33	31.00	100.45	-
9	; kx (7+8)	301.03	343.41	334.65	404.47	437.31	1820.87	-
	l pkyu ij 0; ;							
10	सरकार को भुगतान की गयी रायल्टी	120.14	119.01	100.66	136.78	174.57	651.16	37.85
11	संचालन, उत्पादन एवं अन्य व्यय	113.79	146.45	165.29	188.79	215.27	829.59	48.22
12	; kx (10+11)	233.93	265.46	265.95	325.57	389.84	1480.75	-
13	l pkyu ykHk (9-12)	67.10	77.95	68.70	78.90	47.47	340.12	19.77
14	p; fur bdkbz; ka dk Vu'vkqj	126.68	148.92	155.96	159.19	199.24	789.99	45.92

I kr % fuxe ds ol'kd yskk

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान आवर्त (₹ 1720.42 करोड़) में 87.89 प्रतिशत प्रकाष्ठ (₹ 1512.04 करोड़), 10.75 प्रतिशत तेन्दू पत्ता (₹ 184.86 करोड़), 1.13 प्रतिशत जलौनी (₹ 19.53 करोड़) और 0.23 प्रतिशत अन्य उत्पादन अर्थात् बॉस, जड़ी बूटी और भाभड़ घांस (₹ 3.99 करोड़) सम्मिलित थे।

वर्तमान निष्पादन लेखा परीक्षा मुख्य वन उपज अर्थात् गोल प्रकाष्ठ, तेन्दू पत्ता और जलौनी, जो कि निगम के कुल आवर्त का 99.77 प्रतिशत थे, से संबंधित गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए की गयी थी। चयनित इकाइयों का आवर्त उक्त अवधि के दौरान निगम के कुल आवर्त का 46 प्रतिशत आच्छादित करता था।

I xBukRed I jpk

2-1-2 निगम का प्रबन्धन एक अध्यक्ष द्वारा शीर्षस्थ और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त पाँच सदस्यों के निदेशक मण्डल में निहित है। प्रबन्ध निदेशक निगम का मुख्य कार्यकारी है जिसे एक अतिरिक्त प्रबन्ध निदेशक, सात महाप्रबन्धक, सात क्षेत्रीय प्रबन्धक (क्षेत्र में छः और मुख्यालय में एक), एक मुख्य लेखा अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार और एक आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी का सहयोग प्राप्त होता है।

कार्य का निष्पादन राज्य भर में छः क्षेत्रों (झाँसी, इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ-विकास, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी) के तहत 17 प्रभागीय लॉगिंग प्रबन्धको (डीएलएम) और 13 प्रभागीय विक्रय प्रबन्धकों (डीएसएम) द्वारा किया जाता है। डीएलएम वृक्षों के पातन और

गोल प्रकाष्ठ के उत्पादन/अन्य वनोपज के संग्रह के लिये उत्तरदायी है। डीएसएम वनोपज के भण्डारण और विक्रय के लिए उत्तरदायी हैं।

ys[kki jh{kk ds mnfnS ;

2-1-3 निष्पादन लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गयी थी कि :

- गोल प्रकाष्ठ और जलौनी का उत्पादन/संग्रह, रॉयल्टी और निस्तारण निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं एवं उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार मितव्ययितापूर्ण, दक्षतापूर्ण एवं प्रभावपूर्ण रूप से किया गया;
- तेन्दू पत्ता का उत्पादन/संग्रह, रॉयल्टी और निस्तारण निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार मितव्ययितापूर्ण, दक्षतापूर्ण एवं प्रभावपूर्ण रूप से किया गया; और
- वनोपज के संग्रहण और निस्तारण के लिए अनुश्रवण और आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली दक्ष और प्रभावी थी।

ys[kki jh{kk dh dl kFV; ka

2-1-4 निगम के निष्पादन मूल्यांकन के लिए लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का आंकलन करने के लिए अपनायी गयी लेखा परीक्षा कसौटियों निम्नवत् थी :

- उत्तर प्रदेश वन निगम का स्थायी आदेशों का मैनुअल;
- उत्तर प्रदेश सरकार/निगम के समय-समय पर निर्गत निर्देश एवं आदेश;
- प्रबन्धन द्वारा तैयार कार्य योजना तथा बजट; और
- निगम की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली।

ys[kki jh{kk dk {ks= , oa i) fr

2-1-5 उत्तर प्रदेश वन निगम की कार्यप्रणाली पर एक समीक्षा को 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश सरकार में मुद्रित किया गया था। दिसम्बर 2004 से सितम्बर 2010 के दौरान राज्य विधान मण्डल के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समिति द्वारा समीक्षा पर चर्चा की गयी थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति की संस्तुतियों प्रतिक्षित हैं। वर्तमान निष्पादन लेखा परीक्षा 19 फरवरी 2014 से 03 सितम्बर 2014 के दौरान की गयी जिसमें निगम के 2009-10 से 2013-14 तक की पाँच वर्षों की अवधि के दौरान मुख्य वनोपज (गोल प्रकाष्ठ, जलौनी एवं तेन्दू पत्ता) के संग्रहण एवं निस्तारण के निष्पादन का आंकलन किया गया।

लेखा परीक्षा के लिए मुख्यालय के साथ छः डीएलएम (लखनऊ, पीलीभीत, नजीबाबाद-बिजनौर, गोंडा, कर्वी तथा रेनुकूट), छः क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में एक (17 डीएलएम में से) तथा उनके सापेक्ष 5 डीएसएम अर्थात् लखनऊ, पीलीभीत, सहारनपुर, गोण्डा एवं दुद्धी (13 डीएसएम में से) का चयन स्ट्रेटीफाईड रेण्डम आधार पर किया गया। चयनित इकाईयों में वनोपज के कुल आवर्त का 46 प्रतिशत आच्छादित था।

लेखा परीक्षा की कसौटियों के संदर्भ में लेखा परीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो पद्धति अपनायी गयी उसमें 13 मार्च 2014 को आयोजित 'एण्ट्री कान्फ्रेंस' में प्रबन्धन को लेखा परीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराया जाना, निगम के स्थायी आदेशों का मैनुअल, शासन के निर्देश तथा निगम के सर्कुलर/कार्यालय आदेशों का अध्ययन, पर्यवेक्षण व अनुश्रवण की प्रणाली का मूल्यांकन और प्रबन्धन को प्रश्न निर्गत करना तथा चर्चा सम्मिलित था। प्रबन्धन के साथ 23 सितम्बर 2014 को एक 'एक्जिट कान्फ्रेंस' आयोजित की गयी। हमारे लेखा परीक्षा प्रेक्षकों पर प्रबन्धन का उत्तर अक्टूबर

2014 में प्राप्त हुआ जिस पर निष्पादन लेखा परीक्षा के अन्तिमीकरण में विधिवत विचार किया गया। शासन का उत्तर प्रतिक्षित था (जनवरी 2015)।

Ykskk ijhkk isk.k

2-1-6 गोल प्रकाष्ठ एवं तेन्दू पत्ता के संग्रहण/उत्पादन एवं निस्तारण पर लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा अग्रेत्तर प्रस्तारों में की गयी है :

xksy ixlkB , oatyksh dk l xg.k , oafuLrkj.k

2-1-7 वन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (विभाग) अपनी कार्य-योजना एवं विकास कार्यों जैसे राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं विद्युत पारेषण लाइन, आप्टिकल फाइबर केबल इत्यादि बिछाने के लिए उत्पन्न हुई वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार वृक्षों का छपान पातन के लिए करता है। वह पातन किये जाने वाले वृक्षों की सूची (विक्रय सूची) के साथ इन वृक्षों के विवरण (छपान सूची) निगम को प्रेषित करता है।

निगम का कार्य छपान सूची एवं विक्रय सूची प्राप्त होने के बाद प्रारम्भ होता है। यह छपान सूची एवं विक्रय सूची के विवरण को स्थल पर सत्यापित करता है एवं उसके बाद लाटों का कब्जा लेता है। लाटों का पातन लॉगिंग वर्ष (अक्टूबर से सितम्बर) में किया जाना अपेक्षित होता है। लॉगिंग प्रभाग वृक्षों का पातन करते हैं, निर्धारित आकार के बोटे (गोल प्रकाष्ठ) बनाते हैं और चट्टा लगाने तथा विक्रय हेतु विक्रय-प्रभागों को भेज देते हैं। गोल-प्रकाष्ठ का विक्रय नीलामी द्वारा होता है।

2009-10 से 2013-14 के दौरान, गोल प्रकाष्ठ का आवर्त (₹ 1,512.04 करोड़) निगम के कुल आवर्त ₹ 1,720.42 करोड़ का 87.89 प्रतिशत था जैसा कि l kfj.kh 2-1-1 में दर्शाया गया है।

गोल प्रकाष्ठ एवं जलौनी के संग्रहण एवं निस्तारण के सम्बन्ध में देखी गयी कमियों की चर्चा अग्रेत्तर प्रस्तारों में की गयी है:

ikru ds i nkl djus ea foyEc

2-1-8 उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों (अक्टूबर 2002) के अनुसार वृक्षों की लॉगिंग, लॉगिंग वर्ष (अक्टूबर से सितम्बर) के अन्दर करना था। 2009-10 से 2013-14 की अवधि में आवंटित, पूर्ण, प्रगति में एवं अछूती लाटों का विवरण सारिणी 2.1.2 में दर्शाया गया है।

Lkkfj.kh -2.1.2

o"ki	ykVka dh l d; k					oki l dh x; h ykVa , Oa vNirh ykVka dk vkofVr ykVka l s ifr'kr
	vkofVr	i nkl	ixfr es	ou folkkx dks oki l dh x; h	vNirh	
2009-10	5706	4159	423	379	745	19.70
2010-11	5453	4061	452	463	477	17.24
2011-12	5024	4084	304	258	378	12.66
2012-13	6778	4529	584	488	1177	24.56
2013-14	6849	4875	611	536	827	19.90
; ksx	29810	21708	2374	2124	3604	19.22

l kr % ekfl d ixfr ifronu

fuXe 378 l s
1j177 ykVka dk
dk; l ykfxax o"kl
ea i kjEhk djus ea
vl Qy jgk

सारिणी में यह देखा जा सकता है कि निगम 378 से 1,177 लाटों का कार्य लॉगिंग वर्ष में प्रारम्भ करने में असफल रहा। फलस्वरूप 3,604 लाटों पर संबंधित वर्ष के अंत तक कार्य नहीं किया जा सका एवं 2,124 लाटों को आगामी वर्षों में पुनर्आवंटन हेतु विभाग को वापस किया गया। हमने पाया कि रायल्टी की दरों में सभी पाँचों वर्षों में वृद्धि हुई

थी। फलस्वरूप, वापस की गयी एवं अछूती लाटों की रायल्टी का भुगतान सापेक्षतः अधिक दरों पर करना पड़ा।

पाँच वर्षों 2009–10 से 2013–14 में निगम के लॉगिंग प्रभागों में अछूती लाटों के अग्रतर विश्लेषण पर परिलक्षित हुआ कि डीएलएम ओबरा में शून्य के सापेक्ष डीएलएम, ललितपुर में अछूती लाटों का प्रतिशत अधिक (38.77 प्रतिशत) था।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि पातन कार्य प्राकृतिक बाधाएँ जैसे वर्षा एवं नमी तथा मकानों, दुकानों, यातायात तथा जिला प्रशासन द्वारा अपेक्षित सहयोग न मिलने इत्यादि के कारण प्रभावित होता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धन द्वारा कही गयी बाधाएँ सभी प्रभागों में विद्यमान थीं।

हम संस्तुति करते हैं कि निगम को लॉगिंग वर्ष के अंत में अछूती लाटों को कम करने का प्रयास करना चाहिए।

xky i xk" B ds vk; ru dh = fVi wkz x. kuk

2-1-9 खड़े वृक्षों में प्रकाष्ठ के आयतन की गणना, वन विभाग द्वारा वृक्षों की प्रत्येक प्रजातियों हेतु, विभिन्न व्यास–कक्षों में, छाती की ऊँचाई (डीबीएच) पर, जो कि भूमि से 1.37 मीटर ऊँचाई पर होती है, के लिए निर्धारित (जून 1978) आयतन गुणांक के अनुसार होती है। इसे ठोस आयतन कहते हैं।

निगम द्वारा निर्गत आदेश (जनवरी 1998) के अनुसार खड़े वृक्षों के ठोस आयतन को 0.786 से इस आधार पर गुणा किया जाता है कि वृक्षों का आकार पूर्ण रूप से बेलनाकार नहीं होता बल्कि जैसे–जैसे यह ऊपर की ओर जाता है, पतला होता जाता है। इस प्रकार निकाला गया आयतन क्वार्टर गर्थ आयतन कहलाता है।

fuXe mRi kfnr
ckv/ka ds vk; ru
x. kuk ds fy,
DokWj xFkz I =
dk iz ksx djrk gS
ftl ea okLrfod
vk; ru ds 78-60
ifr'kr vk; ru dh
x. kuk gkrh gS

हमने पाया कि निगम, बोटे¹ के आयतन की गणना के लिए, बोटे की मध्य घेरी का प्रयोग क्वार्टर गर्थ सूत्र² लगा के करता है जहाँ आयतन की गणना सामान्य गणितीय गणना में प्रयुक्त π का मान 4 लेने के कारण पूर्ण बेलनाकार के 78.60 प्रतिशत पर होती है।

बोटों के मापन हेतु क्वार्टर गर्थ सूत्र अपनाना त्रुटिपूर्ण है क्योंकि ऊपर की घेरी में घटते हुए शंकु के कारण प्रकाष्ठ में आयी कमी, नीचे की घेरी में बढ़ते हुए शंकु के कारण प्रकाष्ठ में आयी अधिकता से प्रतिपूर्णा हो जाती है।

प्रबन्धन ने 'एक्जिट कान्फ्रेन्स' (सितम्बर 2014) में सहमति दी की वह क्षेत्र अध्ययन के पश्चात नये तथा सही सूत्र की व्यवहारिकता पर विचार करेगी। तथापि, इसने कहा (अक्टूबर 2014) कि क्वार्टर गर्थ सूत्र के प्रयोग का उद्देश्य गोल प्रकाष्ठ को चिरान प्रकाष्ठ में परिवर्तित करने में होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना है। उत्तरमान्य नहीं है क्योंकि निगम प्रकाष्ठ गोल प्रकाष्ठ के रूप में विक्रय करता है न कि चिरान प्रकाष्ठ के रूप में।

हम संस्तुति करते हैं कि निगम को उत्पादन हेतु बोटे के मापन के सूत्र की समीक्षा करनी चाहिए।

i xk" B dks gjs rFkk I [ks ea oxhZdr u djuk

2-1-10 प्रकाष्ठ की रायल्टी हरे तथा सूखे वृक्षों के वर्गीकरण पर आधारित होती है। सूखे वृक्ष की रायल्टी, हरे वृक्ष की रायल्टी के तीन–चौथाई के बराबर देय होती है। विभागों को देय रायल्टी की दरों में उपरोक्त भिन्नता के बावजूद निगम ने न तो हरे तथा सूखे वृक्षों से प्राप्त प्रकाष्ठ को अलग–अलग वर्गीकृत किया, न ही उनके अलग से आधार मूल्य निर्धारित किये। हालाँकि, इसने केवल 'आम' के लिए प्रकाष्ठ का वर्गीकरण

¹ गिरे हुए वृक्षों को काटकर प्राप्त गोल प्रकाष्ठ के टुकड़े

² $(\text{जी}/4)^2 \times \text{एल}$, जहाँ 'जी' गर्थ को तथा 'एल' बोटे की लम्बाई को दर्शाता है

हरे तथा सूखे में किया तथा जनवरी 2013 से अलग आधार मूल्य निर्धारित किये जहाँ हरे प्रकाष्ठ का आधार मूल्य सूखे प्रकाष्ठ के आधार मूल्य से 17.81 प्रतिशत अधिक था।

i xdk"B dk gj s
rFkk l uks ea
oxhdj.k vkj
muds fy,
vyx&vyx
vk/kkj eW;
fu/kkjr u djus
ds dkj.k fuxe
gjs o/kka l s i klr
i xdk"B ij mPprj
ol y/h l fuf' pr
ugha dj l dk

हमने चार डीएलएम (लखनऊ, पीलीभीत, गोंडा तथा नजीबाबाद-बिजनौर) में देखा कि राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के निर्माण/चौड़ीकरण हेतु पातन किये गये हरे वृक्षों की 291 लाटों से विभिन्न प्रजातियों यथा सागौन, शीशम, नीम, जामुन तथा यूकेलिप्टस की ₹ 18.68 करोड़ (औसत आधार मूल्य पर) मूल्य का 21,861 घन मी0 गोल प्रकाष्ठ प्राप्त हुआ। हरे एवं सूखे वृक्षों का आधार मूल्य अलग-अलग निर्धारित न करने के कारण निगम हरे वृक्षों से प्राप्त प्रकाष्ठ से उच्चतर वसूली सुनिश्चित नहीं कर सका।

प्रबन्धन ने कोमल काष्ठ (सेमल, साइरस, आरू इत्यादि) के सम्बंध में दिया गया हरे व सूखे वृक्षों से संबंधित लेखा परीक्षा प्रेक्षण स्वीकार (अक्टूबर 2014) किया। अन्य प्रजातियों के सम्बंध में इसने कहा कि सूखे वृक्षों में पहले से ही कम नमी होती है अतः गुणवत्ता में नगण्य भिन्नता होती है तथा इसीलिए हरे तथा सूखे वृक्षों के मूल्य अलग-अलग निर्धारित नहीं किये गये।

कोमल काष्ठ के अतिरिक्त प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम के हरे तथा सूखे प्रकाष्ठ के अलग-अलग चट्टा लगाने के निर्देश तथा आम (जो कोमल काष्ठ नहीं है) के लिए अलग-अलग आधार मूल्य निर्धारित करना उनके संकथन का समर्थन नहीं करता।

xky i xdk"B ds mRi knu ea deh

2-1-11 निगम ने निर्धारित किया (जनवरी 1998) कि खड़े वृक्षों से उत्पादित होने वाले गोल प्रकाष्ठ की मात्रा के अनुमान हेतु क्वार्टर गर्थ आयतन की गणना की जायेगी।

p; fur Mh, y, e
ds 1]669 ykVka ea
l s 644 ykVka ea
okLrfod mRi knu
DokVj xFKZ
mRi knu l s 15]920
?ku eh0 de Fkk
ftl ds
ifj .kkeLo: i
₹ 15-81 dj kM+
jktLo dh gkfu
gpl

सत्रह डीएलएम में से चयनित छः डीएलएम प्रभागों के 1,669 लाटों की नमूना जांच में परिलक्षित हुआ कि 644 लाटों में वास्तविक उत्पादन (75,403 घन मी0) अपेक्षित उत्पादन (91,323 घन मी0) से 15,920 घन मी0 कम था जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 15.81 करोड़ के राजस्व की हानि हुई जो कि औसत विक्रय मूल्य ₹ 9933 प्रति घन मी0 पर गणित था।

गोल प्रकाष्ठ के उत्पादन में कमी के लिये पाये गये मुख्य कारण निम्नवत् हैं :

(i) निगम ने निर्धारित किया (अक्टूबर 1990, जून 2010) कि न्यूनतम 30 सेमी (यूकेलिप्टस और सागौन के लिए 15 सेमी) मध्य घेरी तक के बोटे बनाये जाएँगे। हमने पाँच प्रभागों यथा लखनऊ, रेनुकूट, पीलीभीत, गोंडा तथा नजीबाबाद-बिजनौर में 445 प्रकरणों की नमूना जांच की तथा पाया कि 309 प्रकरणों (69.44 प्रतिशत) में 35 सेमी से 92 सेमी (यूकेलिप्टस और सागौन में 20 सेमी से 72 सेमी) मध्य घेरी तक के बोटे बनाये गये। फलस्वरूप, संभावित गोल प्रकाष्ठ, जलौनी में परिवर्तित हो गया तथा अन्ततः निगम उच्चतर राजस्व प्राप्त करने में असफल रहा।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि 35-40 सेमी मध्यघेरी के बोटों के उत्पादन के बाद और बोटों का उत्पादन संभव नहीं था क्योंकि अगले बोटे की मध्यघेरी 31 सेमी से कम हो जाती।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा में इंगित 309 प्रकरणों में से 197 प्रकरणों में 30 सेमी/15 सेमी तक के उत्पादन की अपेक्षा के सापेक्ष 41 से 92 सेमी (यूकेलिप्टस और सागौन के संबंध में 26 सेमी से 72 सेमी) मध्यघेरी के बोटे उत्पादित हुए।

(ii) जड़ की ढूँढ (बूट)³ की घेरी तथा प्रथम बोटे की निचली घेरी समान होनी चाहिए। हमने तीन डीएलएम (लखनऊ, कर्वी तथा पीलीभीत) के 571 प्रकरणों की नमूना जाँच की तथा 84 प्रकरणों में पाया कि पहले बोटे की निचली घेरी, ढूँढ की घेरी से 5 से

³ जड़ से जुड़ा वह हिस्सा जहाँ से वृक्ष गिराया जाता है।

293 सेमी तक कम थी। ढूँठ की घेरी से प्रथम बोटे की निचली घेरी का मिलान न होने के कारण अपयोजन की संभावनाएँ हुई तथा गोल प्रकाष्ठ का उत्पादन कम हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि ढूँठ और पहले बोटे की घेरी में पाँच से 10 सेमी का अन्तर वृक्ष गिराने में आवश्यकता के कारण होना सामान्य है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा में इंगित 84 प्रकरणों में से 76 प्रकरणों में भिन्नता सामान्य से अधिक पायी गयी।

हम संस्तुति करते हैं कि निगम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि गोल प्रकाष्ठ का उत्पादन क्वार्टर गर्थ आयतन से कम न हो सिवाय प्रतिकूलता के जहाँ यथोचित कारण अभिलिखित किये गये हो।

tyk&uh i xdk"B ds mRi knu es ekun. Mks dh vuq yfC/k

2-1-12 जलौनी का उत्पादन खड़े वृक्षों के पातन से सह-उत्पाद की तरह होता है। निगम ने जलौनी उत्पादन के मानक नवम्बर 2009 में निर्धारित किए $\frac{1}{4}$ f'f'k"V&2-1-1 $\frac{1}{2}$ ।

12 i Hkxka es
ekud I s 90]617
?ku eh0 de
tyk&uh mRi knu
ds dkj .k ₹ 4-03
dj kM+ dh gkfu
gbl

हमने पाया कि 12 प्रभागों में वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में मानक के अनुसार जलौनी के 1,37,450 घन मी0 अपेक्षित उत्पादन के सापेक्ष वास्तविक उत्पादन 46,833 घन मी0 था जिसके कारण ₹ 4.03 करोड़⁴ मूल्य की 90,617 घन मी0 जलौनी का कम उत्पादन हुआ $\frac{1}{4}$ f'f'k"V&2-1-2 $\frac{1}{2}$ ।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि जलौनी के उत्पादन में कमी, पातन के लिये सूखे एवं रोगी वृक्षों का आवंटन होने तथा सागौन और यूकेलिप्टस में 15 सेमी की मध्य घेरी तक बोटे बनाने साथ ही, सामाजिक वानिकी के आधीन आवंटित सूखे एवं उखड़े वृक्षों की शाखाओं को काटने के कारण थी।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि सामाजिक वन और आरक्षित वन, दोनों में जलौनी का कम उत्पादन पाया गया। सामाजिक वनों में, राजमार्गों के निर्माण के लिये काटे गये हरे वृक्षों के लाट भी शामिल थे। पुनश्च, सागौन और यूकेलिप्टस के 76 प्रतिशत मामलों में (नमूना जाँच किये गये 132 में से 100 मामले) 20 से 72 सेमी से बाहर मध्य घेरी के बोटे नहीं बनाये गये जैसा कि प्रस्तर 2.1.11 में इंगित किया गया है।

mRi knu ds vfhkysf kka dk u cuk; k tkuk

ykW jftLVj
; k rks cuk; s
ugha x; s ; k
Bhd I s ugha
cuk; s x; s

2-1-13 हमने पाया कि निगम के 16 मार्च 1998 के आदेश के अनुसार बनाये जाने वाले वॉछित लाट रजिस्टर को रेनुकूट और नजीबाबाद (बिजनौर)⁵ लागिग प्रभागों में नहीं बनाया गया। पुनश्च, डीएलएम लखनऊ एवं पीलीभीत में लाट रजिस्टर तो बनाये गये परन्तु उनमें विवरण जैसे 591 में से 428 लाटों में सीमा रजिस्टर में हस्ताक्षर करने की तिथि, वास्तविक देय रॉयल्टी, रॉयल्टी का भुगतान और पातन के पूर्ण होने की तिथि, अंकित नहीं किये गये। नजीबाबाद (बिजनौर) के चार वन प्रभागों⁶ में वर्ष 2013-14 के लिये ये विवरण लॉट रजिस्ट्रों में अंकित नहीं किये गये। परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा द्वारा कार्य प्रारम्भ होने की तिथि सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि अपूर्ण विवरणों को अब पूर्ण कर लिया गया है तथा समय से विवरणों को अभिलेखबद्ध करने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

i kru i wkl gkus ds ckn LFkyka ds gLrkj . k es ngj

2-1-14 उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों (अक्टूबर 2002) के अनुसार पातन पूर्ण होने के उपरान्त निगम द्वारा विभाग को स्थलों का हस्तांतरण सात दिन के अन्दर कर देना चाहिये।

⁴ ₹ 445 प्रति घन मी0 की औसत दर पर।

⁵ वर्ष 2013-14 में अमरोहा वन प्रभाग को छोड़कर।

⁶ बिजनौर, मुरादाबाद, सम्मल एवं रामपुर

rhu i Hkkxka ea
tkp fd; s x; s
472 ykVka ea l s
91 ykVka ds
LFkyka dks i kru
i w kZ gkaus ds
mi jkUr foHkkxka
dks gLrkarfj r
djus ea l s
238 fnuka dh
njh dh x; h

हमने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2013-14 में तीन प्रभागों (लखनऊ, पीलीभीत एवं नजीबाबाद-बिजनौर) ने 472 लाटों में से 91 लाटों (19 प्रतिशत) के स्थलों को पातन पूर्ण होने के बाद विभाग को हस्तांतरण 1 से 238 दिनों की देरी से किया। दोषपूर्ण अनुश्रवण प्रणाली के कारण निगम इन देरियों से अनभिज्ञ रहा।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि डिपो से सूचना प्राप्त होने में देरी के कारण कुछ मामलों में देरी हो जाती है।

vk/kkj eW; dk derj fu/kkj.k

2-1-15 पिछले लॉगिंग वर्ष की बाजार दरों की समीक्षा के लिए गठित की गयी समिति की अनुशंसा पर प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन से वार्षिक आधार पर आधार मूल्य⁷ का निर्धारण किया जाता है। हमने पाया कि निगम ने वनोपज के आधार मूल्य को निर्धारित करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाया था।

vk/kkj eW; dk
i qfu/kkj.k
fi Nys ykVka
o'kZ dh rgyuk
ea gpl vkj r
eW; ea of) nj
l s de nj ij
djus ds dkj.k
fuxe l okre
eW; ugha i klr
dj l dk

हमने साल, शीशम, सागौन, आम, यूकेलिप्टस और खैर प्रजातियों के आधार मूल्य का अध्ययन किया और पाया कि जनवरी 2012⁸ और जनवरी 2013⁹ की अवधि में, आधार मूल्य में, पिछले लॉगिंग वर्ष पर निर्धारित की गई वृद्धि प्रतिशत, पिछले लॉगिंग वर्ष पर औसत विक्रय मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि की तुलना में, 0.61 प्रतिशत से 12.26 प्रतिशत तक कम थी, जिसका औचित्य अभिलेखों में नहीं था।

इस प्रकार, आधार मूल्य कमतर निर्धारित करने के कारण, निगम, जनवरी 2012 से दिसम्बर 2013 की अवधि में, 2,56,283 घन मी0 गोल प्रकाष्ठ, जिनका मूल्य ₹ 333.98 करोड़ था, के विक्रय पर सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने में असफल रहा।

प्रबन्धन ने अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2014) कि भविष्य में इसे ध्यान में रखा जाएगा।

हम संस्तुति करते हैं कि निगम आधार मूल्य का पुनर्निर्धारण औसत विक्रय मूल्य में वृद्धि के बराबर करे।

vk/kkj eW; ds fu/kkj.k ea foye

2-1-16 पिछले लॉगिंग वर्ष की बाजार दरों की समीक्षा के लिए गठित की गयी समिति की अनुशंसा पर प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन से गोल प्रकाष्ठ के आधार मूल्य का निर्धारण किया जाता है। चूंकि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से लॉगिंग वर्ष का आरम्भ होता है, इसलिए संशोधित आधार मूल्य को इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए था कि इसे प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से लागू किया जाता।

vk/kkj eW; ds
i qj h(k.k ea
foyc ds
dkj.k fuxe us
vfrfjDr
jktLo i klr
djus dk
vol j [kks
fn; k

हमने पाया कि लॉगिंग वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए गोल प्रकाष्ठ के मूल्य को संशोधित किया गया जो क्रमशः जनवरी 2011, जनवरी 2012, जनवरी 2013 और जनवरी 2014 से प्रभावी थे। इस प्रकार, मूल्यों के पुनरीक्षण में देरी के कारण निगम ने अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के अवसर को खो दिया।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि प्रत्येक लॉगिंग वर्ष में नवम्बर से पातन प्रारम्भ होता है और नीलामी के लिए जनवरी में विक्रय सूची तैयार की जाती है। इसीलिए आधार मूल्य का निर्धारण जनवरी में करते हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अक्टूबर 2002 के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार पातन अक्टूबर से आरम्भ किया जाता है। पुनश्च, पुनरीक्षित आधार मूल्य डिपो में रखे वर्तमान एवं पिछले रहतिये दोनों पर प्रभावी होता है।

⁷ वनोपज की नीलामी से प्राप्त दरों की प्रासंगिकता जाँचने के लिए निर्धारित किये गये आधार मूल्य

⁸ आरक्षित वन और सामाजिक वानिक, दोनों के अन्तर्गत साल और शीशम के संदर्भ में

⁹ आरक्षित वन के अन्तर्गत शीशम और यूकेलिप्टस के संदर्भ में और सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत शीशम के संदर्भ में।

हम संस्तुति करते हैं कि निगम को आधार मूल्यों में पुनरीक्षण करना चाहिए जो कि लॉगिंग वर्ष के प्रारम्भ से ही लागू हो जाये।

egkdHk esyk 2013 grq I ky Lyhij o , ftx dh vki frZ

2-1-17 उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने निगम को महाकुम्भ मेला 2013 के लिए लगभग 23,000 साल स्लीपर/एजिंग का आपूर्ति आदेश दिया (दिसम्बर 2011)।

fuxe us mUkj
i n'k ykd
fuekZ.k foHkx
dks 11]475 I ky
Lyhij dh
vki frZ ij
vfu; fer : lk I s
₹ 86-00 yk[k
dk I Vst
iHkKj r fd; k

हमने पाया कि निगम ने 11,475 साल स्लीपर अन्य निगमों यथा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (6349 स्लीपर) तथा पंजाब राज्य वन विकास निगम (5126 स्लीपर) से क्रय करके, ₹ 86 लाख सेन्टेज प्रभारित करने के बाद ₹ 15.58 करोड़ में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग को आपूर्ति किये। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (जनवरी 2011) जिसके अनुसार क्रय की गयी सामग्री पर सेन्टेज नहीं प्रभारित करना था, के दृष्टिगत सेन्टेज प्रभारित करना अनियमित था।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि सेन्टेज उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (जनवरी 2011) के अनुसार प्रभारित किया गया था। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि प्रबन्धन उत्तर प्रदेश सरकार के उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 2 को संदर्भित कर रहा है जबकि इसी आदेश के बिन्दु संख्या 5 में क्रय की गयी सामग्री पर सेन्टेज प्रभारित करना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष रूप से निषिद्ध किया गया है।

rnwiUkk dk I xg.k] fuLrkj.k , oa jk; YVh

2-1-18 तेंदू पत्ता बीड़ी बनाने के काम में आता है। इसका संग्रहण प्रत्येक वर्ष मई-जून के दौरान किया जाता है। इसको संग्रहणकर्ताओं से फड़ मुंशी (संग्रहणकर्ताओं से पत्ता इकट्ठा करने हेतु कमीशन एजेंट) के माध्यम से क्रय किया जाता है। पत्तों को 50 पत्तों के प्रत्येक गड्डी में क्रय किया जाता है। संग्रहण का लेखांकन मानक बोरों में किया जाता है और प्रत्येक मानक बोरा में 1,000 गड्डियाँ होती हैं।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान निगम के कुल विक्रय (₹ 1720.42 करोड़) में तेंदू पत्ता का विक्रय 10.75 प्रतिशत (₹ 184.86 करोड़) था जैसा कि I kfj.kh 2-1-1 में दर्शाया गया है। निगम ने उत्तर प्रदेश सरकार को तेंदू पत्ता पर ₹ 18.98 करोड़ की रायल्टी का भुगतान किया। पिछले पाँच वर्षों के दौरान तेंदू पत्ता के सम्बन्ध में निगम के निर्धारित लक्ष्य एवं वास्तविक परिणाम की तुलना निम्नवत् है:

I kfj.kh 2-1-3

0r% %ekud ckj ka eZ	y(: %ekud ckj ka eZ	mi yf/k %ekud ckj ka eZ	deh %&½@vkf/KD; %ekud ckj ka eZ	deh %&½@vkf/KD; dk ifr'kr
2009-10	219831	219915	84	0.04
2010-11	269552	269675	123	0.05
2011-12	166491	166491	0	0
2012-13	281819	281307	-512	-0.18
2013-14	202717	202717	0	0
: ksx	1140410	1140105	(-) 305	(-) 0.03

I kr % ctV , oa okf'kd ys'ls

तेंदू पत्ता के संग्रहण लक्ष्य यद्यपि वर्ष 2009-10 से 2011-12 एवं 2013-14 में प्राप्त कर लिये गये थे परन्तु वर्ष 2012-13 में इसे प्राप्त नहीं किया जा सका।

सत्रह डीएलएम में से छः डीएलएम (रेनुकूट, ओबरा, मिर्जापुर, इलाहाबाद, कर्वी एवं ललितपुर) मुख्यतः तेंदू पत्ता का संग्रहण करते हैं। इसमें से तेंदू पत्ता के संग्रहण करने वाले दो डीएलएम (रेनुकूट एवं कर्वी) को लेखा परीक्षा हेतु चयनित किया गया था। तेंदू पत्ता के संग्रहण, निस्तारण एवं रायल्टी के भुगतान में पायी गयी अनियमितताएँ निम्नवत् हैं:

xknke ea rgnw i Ukk dh de i kflr

2-1-19 संग्रहण केन्द्र (फड) में तेंदू पत्ता की प्राप्ति होने पर प्राप्त की गई मात्रा को तिथिवार तेंदू पत्ता के संग्रहण को दर्शाते ik: i 1-1 में अंकित किया जाता है। फड पर तेंदू पत्ता का दैनिक संग्रहण/क्रय एवं गोदाम तक उसके परिवहन को निर्धारित प्रारूप में इकाई एवं सेक्शन वार संग्रहण दर्शाते हुए अभिलिखित किया जाता है। प्रभाग द्वारा तेंदू पत्ता के संग्रहण एवं गोदाम तक उसके परिवहन का अनुश्रवण मूल अभिलेख दैनिक उत्पादन प्रतिवेदन (डीपीआर) के माध्यम से किया जाता है।

नीचे दी गई सारिणी क्रय किये गये एवं भण्डारण हेतु भेजे गये तेंदू पत्ता के मानक बोरो की स्थिति को दर्शाती है:

I kfj.kh 2-1-4

Øe I f; k	ykfxæ i Hkkx dk uke	vof/k	Ø; fd, x, ekud ckj:s	xknke ea i kflr fd, x, I fpr ekud ckj:s	xknke ea de i kflr %&5%
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	कर्वी	2009-10 to 2013-14	229466	224972	4494
2	रेनुकूट	2009-10 to 2013-14	425946	425193	753
; kx			655412	650165	5247

I kr % Mh i hvkj] vfire I Ø'ku ckj i fironu , oa xknke i kflr; k

rgnw i Ukk l s
5]247 ekud
ckj ka dh de
i kflr l s
₹ 67.66 yk[k
dh gkfu gpl

उपरोक्त सारिणी से यह देखा जा सकता है कि डीएलएम कर्वी एवं डीएलएम रेनुकूट में 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 67.66 लाख मूल्य¹⁰ के 5,247 मानक बोरो गोदाम में कम प्राप्त हुए। इसके कारणों का उल्लेख अभिलेखों में नहीं था। निगम हानि पर अंकुश लगाने में असफल रही।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2014) और कहा कि बोरो की कमी नगण्य (0.80 प्रतिशत) है। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि निगम ₹ 67.66 लाख मूल्य के बोरो की कमी पर अंकुश लगाने में असफल रही।

rgnw i Ukk l æg. kdrk/vka ds Hkqrku ea vfu; ferrk, j

2-1-20 निगम ने उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रति मानक बोरा संग्रहण शुल्क की दर से तेंदू पत्ता संग्रहणकर्ताओं को साप्ताहिक भुगतान करना निर्धारित किया (फरवरी 2001)।

संग्रहणकर्ताओं के संग्रहण शुल्क एवं बोनस के भुगतान हेतु निगम ने वर्ष 2013-14 के लिए आईसीआईसीआई बैंक को नियुक्त किया (जनवरी 2013)। बाद में, संग्रहणकर्ताओं द्वारा पूर्ण धनराशि की प्राप्ति न हो पाने संबंधी शिकायत किए जाने के कारण आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किया जाने वाला भुगतान रोक दिया गया (जुलाई 2013) और उत्तरोत्तर भुगतान निगम द्वारा किए गए। मौसम 2013 (वित्तीय वर्ष 2013-14) के दौरान संग्रहित तेंदू पत्ता पर ₹ 15.23 करोड़ की कुल देय धनराशि के विरुद्ध निगम ने तेंदू पत्ता संग्रहणकर्ताओं को संबंधित प्रभागों द्वारा ₹ 10.42 करोड़ का भुगतान किया और ₹ 4.81 करोड़ आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से किया।

हमने पाया कि:

- निगम, तेंदू पत्ता संग्रहणकर्ताओं को संग्रहण शुल्क के वितरण हेतु आईसीआईसीआई बैंक को प्रेषित धनराशि का अनुश्रवण करने में विफल रहा। तेंदू पत्ता संग्रहणकर्ताओं द्वारा ₹ 1.12 करोड़ का दोषपूर्ण/धोखापूर्ण भुगतान की शिकायत की

rgnw i Ukk
l æg. kdrk/vka
dks 2013&14 ds
l æg. k 'k' d ds
forj. k ggrq
vkb] hvkb] hvkb]
c]d dks i f'kr
/kujk'k dk
vujJo. k djusea
fuxe vl Oy
jgk

¹⁰ कर्वी : ₹ 55.58 लाख ; रेनुकूट : ₹ 12.08 लाख (संबंधित वर्ष की औसत विक्रय दर पर मूल्यांकित)

गई। चूँकि निगम ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा तेंदू पत्ता संग्रहणकर्ताओं को वितरित ₹ 4.81 करोड़ का विस्तृत विवरण/अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए अतः वास्तविक भुगतान एवं शिकायतों की प्रमाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

● यद्यपि तेंदू पत्ता संग्रहणकर्ताओं को साप्ताहिक भुगतान करना था, तथापि 2009-10 से 2013-14 के मई से जून तक के प्रत्येक मौसम हेतु संग्रहणकर्ताओं को वास्तविक भुगतान कर्वी प्रभाग द्वारा जुलाई से आगामी मार्च तक एवं रेनुकूट प्रभाग द्वारा मई से आगामी मार्च तक किया गया। इस प्रकार, संग्रहणकर्ताओं को भुगतान, संग्रहण के एक से सात माह के विलम्ब से किया गया। भुगतान में विलम्ब के कारणों का उल्लेख अभिलेखों में नहीं था।

● कर्वी प्रभाग में वर्ष 2009-10 से 2013-14 से संबंधित 12,141 मानक बोरों हेतु ₹ 82.43 लाख का भुगतान तथा रेनुकूट प्रभाग में वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2013-14 से संबंधित 1,326 मानक बोरे हेतु ₹ 8.91 लाख का भुगतान तेंदू पत्ता संग्रहणकर्ताओं को अभी तक (अक्टूबर 2014) नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि भुगतान में विलम्ब के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निगम के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। उसने आगे कहा कि विभाग द्वारा संग्रहण शुल्क के निर्धारण में विलम्ब के कारण तेंदू पत्ता संग्रहणकर्ताओं को भुगतान में विलम्ब हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संग्रहण शुल्क का भुगतान शासन द्वारा उसके पुनः निर्धारण तक साप्ताहिक आधार पर करना था।

रन्व i Ükk dh xqkoRrk

2-1-21 तेंदू पत्ता की गुणवत्ता पत्तों के वज़न, आकार, मुलायमपन, रेशे, रंग और चमक पर निर्भर करती है। तेंदू पत्ता की गुणवत्ता पर टिप्पणी अग्रेतर प्रस्तारों में की गई है :

o"kkZ I s i Hkkfor i Ükk

2-1-22 निगम द्वारा फरवरी 2001 में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार संग्रहण केन्द्र पर संग्रहित तेंदू पत्ता का, प्रसंस्करण और भण्डारण के दौरान, वर्षा से बचाव किया जाना चाहिए क्योंकि इससे गुणवत्ता को क्षति पहुँचती है। प्रसंस्करण एवं भण्डारण के दौरान जो पत्तियाँ प्रभावित हो जाती हैं उन्हें 'वर्षा प्रभावित' तेंदू पत्ता कहा जाता है जिनका विक्रय अत्यंत निम्न मूल्य पर होता है।

हमने पाया कि वर्षा प्रभावित तेंदू पत्ता से हानि के अनुश्रवण हेतु निगम ने कोई मानक निर्धारित नहीं किये। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान रेनुकूट, ओबरा एवं कर्वी प्रभागों में साधारण व वर्षा प्रभावित तेंदू पत्ता का विवरण सारिणी 2.1.5 में दर्शाया गया है।

Lkkfj.kh 2-1-5

%ek=k % ekud ckjka e%k

o"kkZ ¹¹	ekj e	Lkk/kkj.k ckj	o"kkZ i Hkkfor ckjs	dkj ckj:	o"kkZ i Hkkfor ckjka dk i fr'kr
2009-10	2009	109121.787	23.050	109144.837	0.02
2010-11	2010	141059.649	385.225	141444.874	0.27
2011-12	2011	114252.250	7187.021	121439.271	5.92
2012-13	2012	222601.442	14.620	222616.062	0.01
2013-14	2013	139635.306	17720.068	157355.374	11.26
; ksX		726670.434	25329.984	752000.418	3.37

% kr-% foØ; vuHkkx }kjk rksY ds ifronu%h

dohZ ,o jsupdW
i Hkkxka }kjk
13]467 ekud ckjka
grq ₹ 91-34 yk[k
ds I xqg.k 'kk'd
dk Hkqrku ugha
fd; k x; k

fuxe us o"kkZ
i Hkkfor rann
i Ükk ds fy,
dkbz ekud
fu/kkfr ugha
fd; k

¹¹ 2009-10 एवं 2010-11 की मात्रा में रेनुकूट और ओबरा सम्मिलित हैं क्योंकि कर्वी की इन वर्षों से संबंधित मात्रा उपलब्ध नहीं कराई गई

o"kkZ l s cpko
dj i kus ea
foQyrk ds
ckj .k rnrw
i Ükk dh
xqkoRrk ea
fxjkoV gpl
ftl l s o"kkZ
i Hkkfor
24]907-089
ekud ckjka ij
₹ 2-15 djkm+
dh gkfu gpl

हमने पाया कि 2011-12 एवं 2013-14 में वर्षा प्रभावित बोरे क्रमशः 5.92 प्रतिशत व 11.26 प्रतिशत थे। तेंदू पत्ता को वर्षा से बचाव कर पाने में विफलता के कारण गुणवत्ता में गिरावट हुई तथा निगम को इन तीन प्रभागों में वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 में 24,907.089 वर्षा प्रभावित मानक बोरो पर ₹ 2.15¹² करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि तेंदू पत्ता को खुले में धूप में 8 से 10 दिन तक सुखाना पड़ता है और इसे वर्षा से बचाना एवं वर्षा प्रभावित तेंदू पत्ता के लिए कोई मानक निर्धारित करना मुश्किल है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धन ने संग्रहित तेंदू पत्ता को बचाने के लिए वर्षा के समय तत्काल पॉलीथीन शीट से ढकने एवं पत्ता का उचित भण्डारण करने सम्बंधी सुरक्षा के उपाय नहीं किए।

हम यह संस्तुति करते हैं कि निगम वर्षा प्रभावित तेंदू पत्ता के लिए मानक निर्धारित करे तथा मानक से अधिक की हानि के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करे।

rnw i Ükk ds vkj r otu ea fxjkoV

2-1-23 तेंदू पत्ता का विक्रय तौल से किया जाता है। तेंदू पत्ता के गुणवत्ता निष्पादन में वृद्धि हेतु निगम ने मौसम के मानक बोरे के औसत वजन का विश्लेषण पिछले तीन वर्षों के औसत वजन से करने का निर्देश दिया (फरवरी 2001)।

हमने पाया कि:

- कर्वी एवं रेनुकूट प्रभागों में वर्ष 2012 व 2013 के दौरान क्रमशः 62 प्रतिशत एवं 82 प्रतिशत इकाइयों में मानक बोरो का औसत वजन तदनु रूप पिछले तीन वर्षों के औसत वजन से बढ़ा। हालांकि इसी अवधि में इन प्रभागों के 38 एवं 18 प्रतिशत इकाइयों में यह 0.01 से 14.25 किलोग्राम प्रति मानक बोरे की दर से घटा ¼ f'f' k"V 2-1-3½।

nks i Hkkxka ea o"kZ
2010 l s 2013 ds
nkj ku 5 l s 78
i fr'kr bdkb; ka
ea ekud ckj s dk
vkj r otu
fi Nys o"kZ ds
vkj r otu l s
0-02 l s 16-80
fdyxske ifr
ekud ckj k dh
nj l s ?kV

- वर्ष 2010 से 2013 के दौरान कर्वी में 22 से 95 प्रतिशत इकाइयों में तथा रेनुकूट में 40 से 82 प्रतिशत इकाइयों में मानक बोरो का औसत वजन पिछले वर्ष के औसत वजन से बढ़ा परंतु इसी अवधि में यह कर्वी में 5 से 78 प्रतिशत इकाइयों में तथा रेनुकूट में 18 से 60 प्रतिशत इकाइयों में 0.02 से 16.80 किलोग्राम प्रति मानक बोरा की दर से घटा ¼ f'f' k"V 2-1-4½।

तेंदू पत्ता के औसत वजन में गिरावट को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में निगम असफल रहा क्योंकि इसने औसत वजन में गिरावट के कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि तेंदू पत्ता का वजन उसके आकार पर निर्भर करता है जो कि जलवायु परिस्थितियों¹³ पर निर्भर करता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उसी क्षेत्र में 2012 एवं 2013 के दौरान 62 से 82 प्रतिशत इकाइयों में औसत वजन बढ़ना यह इंगित करता है कि जलवायु परिस्थितियाँ अनुकूल थी।

rnw dYpj

2-1-24 तेंदू पत्ता की मात्रा एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए निगम तेंदू मौसम के प्रारम्भ से पहले तेंदू कल्चर करता है (15 फरवरी से 15 मार्च)। तेंदू कल्चर के प्रभाव

¹² ₹ 862.82 प्रति मानक बोरे के अन्तरीय दर पर (साधारण मानक बोरे की औसत दर ₹ 1596.01- वर्षा प्रभावित मानक बोरे की औसत दर ₹ 733.19)

¹³ जलवायु परिस्थितियों में हवा की दिशा और तापमान सम्मिलित हैं। पछुवा हवा और उच्च तापमान तेंदू पत्ता के लिए अनुकूल हैं

का विश्लेषण करने के लिए जिस क्षेत्र में तेंदू कल्चर किया गया था वहाँ पर उत्पादित तेंदू पत्ता की गुणवत्ता की तुलना समीप के नियंत्रण इकाई, जहाँ पर तेंदू कल्चर नहीं किया गया था, के उत्पादन आंकड़ों पर आधारित कुछ मापदण्डों से की जानी थी।

juqdl i Hkx us
2010 l s 2013
ds nkj ku ranw
dYpj ds
i fj. kkeka dkl
fo' y's'k. k
fufn'V
eki n. Mks ds
vk/kkj ij j
l x'f/kr fu; æ. k
bdkb; ka a l s
ugha fd; k

निगम के रेनुकूट एवं कर्वी प्रभागों ने चार तेंदू मौसम 2010 से 2013 में तेंदू कल्चर पर ₹ 1.19 करोड़ व्यय किए। इस संबंध में हमने पाया कि चार तेंदू मौसम 2010 से 2013 में ₹ 67.94 लाख व्यय करने के बावजूद रेनुकूट प्रभाग ने निर्दिष्ट मापदण्डों के संदर्भ में, तेंदू कल्चर के परिणामों का विश्लेषण, समीप की नियंत्रण इकाइयों से नहीं किया। अतः प्रभाग द्वारा तेंदू कल्चर के प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

हमने रेनुकूट प्रभाग के 9 एवं 11 इकाइयों को, जहाँ ₹ 36.86 लाख के व्यय पर तेंदू कल्चर किया गया था, तेंदू मौसम क्रमशः 2012 एवं 2013 के लिए जॉचा और पाया कि :

- वर्ष 2012 तथा 2013 के दौरान क्रमशः एक (11.11 प्रतिशत) एवं चार इकाइयों (36.36 प्रतिशत) में कुल उत्पादन उनके पिछले तीन वर्षों के तदनु रूप औसत उत्पादन के विरुद्ध घटा।
- वर्ष 2012 (33.33 प्रतिशत) एवं 2013 (18.18 प्रतिशत) में क्रमशः तीन एवं दो इकाइयों में प्रति मानक बोरा औसत वजन उनके पिछले तीन वर्षों के तदनु रूप प्रति मानक बोरा औसत वजन के विरुद्ध घटा।

ranw ek3 e 2011
l s 2013 ea dohl
i Hkx dh 27 ea
l s 11 bdkb; ka
ej tgl; ranw
dYpj fd; k
x; k Fkkj i fr
ekud cjk k
vk3 r otu
muds l x'f/kr
fu; æ. k bdkb; ka
ds vk3 r otu
l s de Fkk

हमने आगे पाया कि कर्वी प्रभाग में तेंदू मौसम 2011 से 2013 में तेंदू कल्चर पर, ₹ 47.34 लाख व्यय करने के बावजूद, 27 में से 11 इकाइयों में प्रति मानक बोरा औसत वजन उनके संबंधित नियंत्रण इकाइयों के औसत वजन से कम था। अथापि, दस में से छः इकाइयों (तेंदू मौसम 2012) एवं नौ में एक इकाई (तेंदू मौसम 2013) में जहाँ तेंदू कल्चर किया गया था, प्रति मानक बोरा औसत वजन पिछले वर्ष के वजन की तुलना में नहीं बढ़ा।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि तेंदू कल्चर का लाभ तभी प्राप्त होता है जब उसके बाद अनुकूल जलवायु परिस्थितियां रहें। इसके अतिरिक्त तेंदू पत्ता संग्रहणकर्ता एक ही फड़ पर कल्चर किए गए क्षेत्र एवं गैर कल्चर किए क्षेत्र के तेंदू पत्ता जमा करते हैं, अतः तुलना करना व्यावहारिक नहीं है। उत्तरस्वीकार्य नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन इकाइयों एवं उनके नियंत्रण इकाइयों¹⁴ में जलवायु परिस्थितियां लगभग एक समान होती हैं।

हम यह संस्तुति करते हैं कि फड़ का स्थान ऐसे केन्द्र बिंदु पर निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे क्षेत्र का सम्पूर्ण तेंदू पत्ता, संबंधित इकाइयों में ही पहुँच सके तथा तेंदू कल्चर के परिणामों की तुलना नियंत्रण इकाई से सुनिश्चित की जानी चाहिए।

gf l ; u ckj's dh oki l h u gkuk

2-1-25 हैसियन बोरे¹⁵ प्रभाग द्वारा अनुभाग अधिकारी को निर्गत किये जाते हैं जो उसे अपने इकाई प्रभारी के माध्यम से फड़ मुँशी को उपलब्ध कराता है। निगम द्वारा तैयार की गई तेंदू पत्ता निर्देशों पर हस्तपुस्तिका (2001) के प्रस्तर 3.7.4 के अनुसार मौसम के अंत में खाली बोरों को वापस किया जाना चाहिए। खाली बोरे वापस न किए जाने की स्थिति में फड़ मुँशी/इकाई प्रभारी के कमीशन से प्रति मानक बोरे के संग्रहण शुल्क की दोगुना दर से वसूली की जानी चाहिए थी।

¹⁴ समीप की इकाइयां जहाँ कल्चर नहीं किया है

¹⁵ हैसियन बैग का उपयोग तेंदू पत्ता भण्डारण में किया जाता है।

o"z 2009&10
l s 2013&14 ds
nkjku tkjh
fd, x,
viz pr 1j453
gfl ; u ckjka
dh u rks
oki l h
l fuf'pr dh
xbz vkj u gh
fufnZV njka i j
ol myh dh xbz

हमने पाया कि:

- डीएलएम कर्वी एवं रेनुकूट में फड़ मुँशी/इकाई प्रभारी/अनुभाग अधिकारी के पास 1,453 अप्रयुक्त बोरे पड़े थे परंतु अप्रयुक्त बोरों की वापसी न होने पर भी ₹ 20.53 लाख की वांछित वसूली नहीं की गई।
- इसके अतिरिक्त, कर्वी प्रभाग में जनवरी 2013 में नोटिस जारी करने के बावजूद वर्ष 2006-07 से 2008-09 से संबंधित वापस न किए गए 249 बोरों के लिए वसूली नहीं की गई।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि इन बोरों की वापसी/वसूली के लिए उपाय किए जाएंगे।

rnw i Ükk ds fuLrkj.k eafoyc

2-1-26 तेंदू पत्ता नश्वर प्रकृति के होते हैं और तेंदू पत्ता के भण्डार का निस्तारण के लिए सभी संभव प्रयास, शीघ्रातिशीघ्र करने की आवश्यकता होती है।

हमने पाया कि डीएसएम दुद्धि, ओबरा एवं रेनुकूट प्रभागों द्वारा 2006-07 से 2013-14 के दौरान संग्रहित 48,158.99 मानक बोरों का वर्ष 2011-12 के सिवाय, संग्रहण के वर्ष में विक्रय नहीं कर पाया। तेंदू पत्ता के यह मानक बोरे, संबंधित संग्रहण वर्षों के प्रति मानक बोरा की औसत दरों ₹ 901.54 से लेकर ₹ 3,132.99 की तुलना में आगामी वर्षों में ₹ 9.98 से लेकर ₹ 1881.53 प्रति मानक बोरा की कम दरों पर विक्रय किये गये *W f j f ' k " V & 2 - 1 - 5 / A* अतः तेंदू पत्ता का, संग्रहण वर्ष में निस्तारण करने में विफलता के कारण निगम को ₹ 4.49 करोड़ की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि निरंतर प्रयासों के बावजूद कई निविदाओं में भण्डार का निस्तारण नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धन ने निविदा आवंटन के अन्तिमीकरण में 24 दिन से 190 दिन लगाए जिससे तेंदू पत्ता के निस्तारण में विलम्ब हुआ।

हम संस्तुति करते हैं कि निगम अनुवर्ती निविदाओं में विलम्ब पर अंकुश लगाने के लिए निविदा के आवंटन में तेजी लाए तथा भण्डार को, उसके संग्रहण वर्ष में निस्तारण करने के प्रयास करे।

jk; YVh dk de Hkqrku

2-1-27 निगम द्वारा तेंदू पत्ता पर रायल्टी, राज्य के प्रमुख वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं कार्य योजना) द्वारा शीर्षस्थ एक समिति के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विहित (जुलाई 2001) सूत्र के अनुसार निर्धारित दरों पर देय होती है।

हमने पाया कि उपरोक्त सूत्र के अनुसार 2010-11 से 2013-14 की अवधि में ₹ 209.80 करोड़ की रायल्टी बनती है। इसके विरुद्ध निगम ने उत्तर प्रदेश सरकार को ₹ 8.28 करोड़ की रायल्टी का भुगतान किया। अतः ₹ 201.52 करोड़ की रायल्टी का कम भुगतान किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि 2010-11 एवं आगामी वर्षों के लिए रायल्टी निर्धारित नहीं की गयी है जिसके निर्धारण पर रायल्टी का तदनुसार भुगतान किया जाएगा। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा जुलाई 2001 में निर्धारित सूत्र के अनुसार रायल्टी का भुगतान किया जाना था।

rnw i Ükk ds
l Ei w k Hk. Mkj
dkj l xg. k o"z
ea fuLrkj .k u
dj i kus ds
dkj .k ₹ 4-49
dj kM+ dh gkfu
gpl

fuxe us
2010&11 l s
2013&14 dh
vof/k ds fy,
'kkl u dks
₹ 201-52 dj kM+
dh jk; YVh dk
de Hkqrku
fd.; k

vkUrfd fu; æ.k , oa vuqo.k

2-1-28 आन्तरिक नियंत्रण संचालन की दक्षता, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा उददेश्यों को कुशलतापूर्वक व प्रभावी ढंग से प्राप्त करने हेतु लागू नियमों व विनियमों के अनुपालन के लिए उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई एक प्रक्रिया है। अनुश्रवण किसी संगठन की गतिविधियों के प्रभावी प्रबन्धन के लिए उनका नियमित अवलोकन व अभिलेखन है।

हमने पाया कि आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावी नहीं थी क्योंकि यह निम्न में असफल रही :

- निर्धारित न्यूनतम परिधि के बोटे उत्पादन करने संबंधी निगम के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने में तथा बूट व प्रथम बोटे के निचली परिधि के माप में अन्तर का पता लगाने में ;
- उत्पादन के लिए निर्धारित अभिलेख जैसे लाट लेजर जिसमें प्रत्येक लाट के संबंध में विस्तृत विवरण होता है, का रखरखाव सुनिश्चित करने में;
- पातन पूर्ण होने के पश्चात विभाग को साइटें हस्तगत करने में निर्धारित समय का अनुसरण सुनिश्चित करने में;
- तेंदू मौसम की समाप्ति पर खाली हैसियन बोरों की वापसी सुनिश्चित करने में;
- तेंदू कल्चर के परिणाम का विश्लेषण करने हेतु निगम के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने में; तथा
- गोदाम में तेंदू पत्ता की कम प्राप्ति से हुई हानि को रोकने में।

निगम, उत्पादन का निष्पादन प्रभावी ढंग से अनुश्रवण करने में भी असफल रहा क्योंकि गोल प्रकाष्ठ के वास्तविक उत्पादन की तुलना संबंधित लाटों के अनुमानित उत्पादन से नहीं की गई तथा संबंधित महीनों के प्रगामी वास्तविक उत्पादन की तुलना सम्पूर्ण वर्ष के लक्ष्य से की गई। शासन को सूचित वनोपज के उत्पादन एवं विक्रय के लक्ष्य निगम के बजट में अनुमोदित लक्ष्य से भिन्न थे तथा शासन को सूचित उत्पादन व विक्रय के आँकड़े निगम के वित्तीय लेखों में दर्शाए गए आँकड़ों से भिन्न थे।

mRre i) fr

2-1-29 वनोपज के विक्रय के लिए विद्यमान खुली नीलामी पद्धति के अतिरिक्त निगम ने ई-नीलामी का माध्यम शुरू किया (2012)। वेब पोर्टल, पंजीकृत बोलीकर्ताओं को अग्रिम बोली लगाने की अनुमति भी देता है। इन बोलीकर्ताओं की बोली अन्य बोलीकर्ताओं की बोली के अनुसार उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक अन्य बोलीकर्ताओं की बोली इनकी पूर्व निर्धारित उच्चतम बोली से ऊपर नहीं हो जाती। नीलामी की समाप्ति पर बोलीकर्ताओं द्वारा उच्चतम बोली देखी जा सकती है। नीलाम परिणाम साफ्टवेयर द्वारा तैयार किया जाता है। वेबसाइट पर लाटों का अनुमोदन भी प्रदर्शित किया जाता है। निगम इस प्रणाली के माध्यम से शीघ्र और पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित कर सका।

fu"d"kl

- fuxe] 378 l s 1]177 ykVka dk ykfxæ dk; j ykfxæ o"kl ea vkjEHk djus es foQy jgkA ifj.kkeLo: lk] bl s 3]604 vNurh ykVka , oa vxkeh o"kkā ea vkoā/u grq foHkkx dks ykS/kbz xbz 2]124 ykVka ij mPp nj l s jk; YVh nuh i MhA
- fuxe us mRi kfnr cks/ka ds vk; ru dh x.kuk ds fy, DokVj xFkz l w= vi uk; k ftl l s okLrfod vk; ru dk 78-60 ifr'kr vk; ru fudykA ; g gkfu xky i zdk"B ds vi f{kr mRi knu ds fo:) de mRi knu l s vkj c<+ x; hA
- i zdk"B ds vk/kkj eW; ds i qfuZ/kkj .k ea foyEc , oa bl dk fi Nys o"kl ds eW; k ea vkS r of) nj l s de nj ij i qfuZ/kkj .k ds dkj .k] fuxe vfrfjDr jktLo dekus l s ofpr jgkA
- fuxe us o"kkz i Hkkfor rñw i Ükk ds fy, dkbz ekud fu/kkfjr ugha fd, ftl l s de p kfj; ka dh yki jokgh dk vuqlo.k fd; k tk l ds vkj xq koRrk ea fxjkoV ds dkj .k ₹ 2-15 djkm+dh gkfu ogu dhA
- Mh, y, e juclw u] ₹ 1-19 djkm+dh ykxr l s fd, x, rñw dYpj ds ifj.kkeka dk fo'yšk.k ugha fd; k rFkk Mh, y, e dohz vi f{kr ykHk i klr djus ea vLkQy jgkA
- fuxe rñw i Ükk ds l Ei wkl Hk.Mkj] l cf/kr mRi knu o"kl ea fuLrkfjr djus ea foQy jgk ftl l s xq koRrk ea fxjkoV ds ifj.kkeLo: i vxkeh o"kkā ea ₹ 4-49 djkm+dh de foØ; ol w h i klr gpA

2.2 fo | r forj .k dEi fu; ka ds dk; bdyki ij fu"i knu ys[kk i jh{kk

dk; bdkjh I kjkd k

i Lrkouk

उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण का कार्य, पाँच विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) अर्थात् मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (म.वि.वि.नि.लि.) दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (द.वि.वि.नि.लि.), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पू.वि.वि.नि.लि.), पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (प.वि.वि.नि.लि.) एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (केस्को) द्वारा किया जाता है। ये डिस्कॉम्स, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के कार्यकारी एवं ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करते हैं। यूपीपीसीएल, डिस्कॉम्स की ओर से विद्युत क्रय करता है और उपभोक्ताओं को वितरण हेतु डिस्कॉम्स को विद्युत उपलब्ध कराता है। यूपीपीसीएल 2009-10 में 75 प्रतिशत एवं 2013-14 में 71 प्रतिशत विद्युत माँग की पूर्ति कर सका।

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित तीन डिस्कॉम्स से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ निम्नवत् उल्लिखित हैं:-

e/; kpy fo | r forj .k fuxe fyfeVM ½e-fo-fo-fu-fy-½

- 4878 एमवीए की आवश्यक क्षमता वृद्धि के सापेक्ष, म.वि.वि.नि.लि. ने 2010-14 के दौरान कमशः 1500 एमवीए एवं 1138 एमवीए की क्षमता के परिवर्तकों का नियोजन एवं वृद्धि किया जिसकी वजह से मार्च 2014 में 3740 एमवीए (77 प्रतिशत) की कमी रही। परिणामस्वरूप, म.वि.वि.नि.लि. के विद्यमान परिवर्तक अतिभारित चल रहे थे और सम्पूर्ण वितरण प्रणाली हेतु खतरा उपस्थित कर रहे थे।

½i Lrj 2-2-7½

- म.वि.वि.नि.लि. ने वितरण परिवर्तकों (डीटी) की मरम्मत हेतु उच्च पैकेज दर प्रदान करने के कारण ₹ 10.26 करोड़ का अधिक व्यय किया और डीटी की मरम्मत पर वैट मद में ₹ 6.83 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

½i Lrj 2-2-10 , oa 2-2-11½

- लो टेंशन (एलटी) का हाई-टेंशन (एचटी) प्रणाली में परिवर्तन न करने, उपकेन्द्रों (एसएस) पर कैपिसिटर बैंक स्थापित न करने एवं डीटी की मरम्मत हेतु अनुबंधों में निजी मरम्मतकर्ता फर्मों को अधिक भार-हानि अनुमन्य करने के कारण परिचालनीय कार्यकुशलता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। 2010-14 के दौरान तकनीकी एवं वाणिज्यिक (टी एण्ड सी) हानियाँ तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा अनुमन्य सीमा से अधिक रही जिनका मूल्य ₹ 258.20 करोड़ था।

½i Lrj 2-2-13 I s 2-2-16½

- बिलिंग हेतु लागू प्रावधानों का म.वि.वि.नि.लि. ने अनुपालन नहीं किया परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं की बिलिंग ₹ 3.04 करोड़ से कम हुई।

½i Lrj 2-2-18½

nf{k.kkpy fo | r forj .k fuxe fyfeVM ½n-fo-fo-fu-fy-½

- 6262 एमवीए की आवश्यक क्षमता वृद्धि के सापेक्ष, द.वि.वि.नि.लि. ने 2010-14 के दौरान 2152 एमवीए की क्षमता के परिवर्तकों की वृद्धि की जिसकी वजह से मार्च 2014 में 4110 एमवीए (66 प्रतिशत) की कमी रही। परिणामस्वरूप, द.वि.वि.नि.लि. के विद्यमान

परिवर्तक अतिभारित चल रहे थे और सम्पूर्ण वितरण प्रणाली हेतु खतरा उपस्थित कर रहे थे।

¶ Lrj 2-2-27½

• उच्चदरों पर भूमिगत केबिल डालने का कार्य प्रदान करने, डीटी की मरम्मत का कार्य उच्च पैकेज दर पर प्रदान करने के कारण द.वि.वि.नि.लि. ने ₹ 12.62 करोड़ का अधिक व्यय किया और डीटी की मरम्मत पर मूल्य वर्द्धित कर (वैट) मद में ₹ 4.52 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

¶ Lrj 2-2-29 I s 2-2-31½

• उपकेन्द्र पर कैपिसिटर बैंक स्थापित न करने एवं डीटी की मरम्मत हेतु अनुबंधों में निजी मरम्मतकर्ता फर्मों को अधिक भार-हानि अनुमन्य करने के कारण परिचालनीय कार्यकुशलता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। 2010-14 के दौरान टी एण्ड सी हानियां दो वर्षों में यूपीईआरसी द्वारा अनुमन्य सीमा से अधिक रहीं जिनका मूल्य ₹ 879.17 करोड़ था।

¶ Lrj 2-2-32 I s 2-2-34½

• बिलिंग हेतु लागू प्राविधानों का द.वि.वि.नि.लि. ने अनुपालन नहीं किया परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं की बिलिंग ₹ 12.42 करोड़ से अधिक एवं ₹ 98.17 करोड़ से कम हुई।

¶ Lrj 2-2-35½

• बुन्देलखण्ड सूखा राहत योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 2013-14 के दौरान संयोजन निर्गत करने हेतु भारत सरकार से प्राप्त ₹ 25.58 करोड़ की सब्सिडी द.वि.वि.नि.लि. द्वारा अनुचित रूप से अवरुद्ध रखी गयी एवं ₹ 3.38 करोड़ की सब्सिडी का दुरुपयोग किया गया।

¶ Lrj 2-2-41 I s 2-2-42½

i n k p y f o | r f o r j . k f u x e f y f e V M ¶ i w f o - f o - f u - f y - ½

• 8715 एमवीए की आवश्यक क्षमता वृद्धि के सापेक्ष, पू.वि.वि.नि.लि. ने 2010-14 के दौरान क्रमशः 1678 एमवीए एवं 1355 एमवीए की क्षमता के परिवर्तकों का नियोजन एवं वृद्धि किया जिसकी वजह से मार्च 2014 को 7360 एमवीए (84 प्रतिशत) की कमी रही। परिणामस्वरूप, पू.वि.वि.नि.लि. के विद्यमान परिवर्तक अतिभारित चल रहे थे और सम्पूर्ण वितरण प्रणाली हेतु खतरा उपस्थित कर रहे थे।

¶ Lrj 2-2-46½

• डी टी की मरम्मत हेतु उच्च पैकेज दर प्रदान करने के कारण पू.वि.वि.नि.लि. ने ₹ 3.34 करोड़ का अधिक व्यय किया और डी टी की मरम्मत हेतु वैट मद में ₹ 6.13 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

¶ Lrj 2-2-48 I s 2-2-49½

• एल टी का एच टी प्रणाली में परिवर्तन न करने एवं एसएस पर कैपिसिटर बैंक स्थापित न करने के कारण परिचालनीय कार्यकुशलता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। 2010-14 के दौरान, टी एण्ड सी हानियाँ तीन वर्षों में यूपीईआरसी द्वारा अनुमन्य सीमा से अधिक रहीं जिनका मूल्य ₹ 309.46 करोड़ था।

¶ Lrj 2-2-50 I s 2-2-52½

i Lrkouk

2-2-1 उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण का कार्य पाँच विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स)¹⁶ द्वारा किया जाता है। ये डिस्कॉम्स ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के कार्यकारी नियंत्रण में कार्य करते हैं। यूपी.पी.सी.एल., डिस्कॉम्स की ओर से विद्युत क्रय करता है और उपभोक्ताओं को वितरण हेतु डिस्कॉम्स को विद्युत उपलब्ध कराता है। 2009-10 के दौरान राज्य की विद्युत माँग 10856 मेगा वाट (मे.वा.) थी जो 2013-14 में बढ़कर 15044 मे.वा. हो गयी। इसके विरुद्ध यूपीपीसीएल क्रमशः 8186 मे.वा. (75 प्रतिशत) एवं 10659 मे.वा. (71 प्रतिशत) विद्युत माँग की पूर्ति कर सका।

पाँच डिस्कॉम्स में से तीन डिस्कॉम्स यथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (म.वि.वि.नि.लि.), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (द.वि.वि.नि.लि.) एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पू.वि.वि.नि.लि.) का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु किया गया। शेष दो डिस्कॉम्स यथा कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (केस्को) एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (प.वि.वि.नि.लि.) पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत पूर्व में ही समाहित की जा चुकी हैं। अद्यतन प्रमाणित वार्षिक लेखाओं (2012-13) के अनुसार सभी पाँचों डिस्कॉम्स के टर्नओवर एवं लाभदायकता की स्थिति निम्नवत दी गयी हैं।

Lkkfj . kh&2-2-1

॥ djkm+e½

fMLdkWl	Vu&koj	ykHk , oa gkfu
म.वि.वि.नि.लि.	4,257.84	(-) 2,135.55
द.वि.वि.नि.लि.	5,174.24	(-) 3,364.06
पू.वि.वि.नि.लि.	5,064.23	(-)2,584.02
प.वि.वि.नि.लि.	9,203.89	(-) 1,303.35
केस्को	1,145.72	(-) 5,44.87

1 ॥ fMLdkWl ds okf"kdI ys[kks

डिस्कॉम्स का मुख्य उद्देश्य यूपीपीसीएल द्वारा उपलब्ध करायी गयी विद्युत को, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ दर पर विश्वसनीय एवं पर्याप्त वितरण नेटवर्क प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित करना है।

31 मार्च 2014 को स्वीकृत पद 13510, 9598 एवं 16691 के विरुद्ध म.वि.वि.नि.लि., द.वि.वि.नि.लि. एवं पू.वि.वि.नि.लि. में क्रमशः 6597(49 प्रतिशत), 4504(47 प्रतिशत) एवं 7868(46 प्रतिशत) कार्मिक कार्यरत थे।

डिस्कॉम्स की निर्धारित उद्देश्यों के तारतम्य में कार्य करने में समर्थता सुनिश्चित करने के लिए चयनित डिस्कॉम्स की 2009-10 से 2013-14 की अवधि हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी।

1 ॥BukRed I j puk

2-2-2 डिस्कॉम्स का प्रबंधन, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं तीन अन्य निदेशकों से युक्त निदेशक मण्डल में निहित होता है। दैनिक कार्यों को एम डी, जो कि डिस्कॉम का प्रमुख कार्यकारी होता है, द्वारा मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं व अधिशाषी अभियंताओं की सहायता से किया जाता है।

¹⁶ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (म.वि.वि.नि.लि.) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (द.वि.वि.नि.लि.), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पू.वि.वि.नि.लि.) एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (प.वि.वि.नि.लि.) सभी की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मई 2003 में हुई थी और कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड की स्थापना जुलाई 1999 में हुई थी।

ys{kk ijh{kk ds mnns' ;

2-2-3 निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि :

- वितरण नेटवर्क पर्याप्त है और वितरण नेटवर्क स्थापित करने हेतु मितव्ययी एवं प्रभावी ढंग से कार्य अनुबंध किये गये;
- उप-पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने एवं लो-टेंशन (एलटी) का हाई-टेंशन (एचटी) प्रणाली में परिवर्तन में परिचालनीय कार्यकुशलता थी;
- उपभोक्ताओं से सम्बन्धित बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण में कार्यकुशलता थी; और
- उपभोक्ताओं की संतुष्टि प्राप्त करने एवं उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के प्राविधानों के अनुसार परिवेदनाओं के निराकरण हेतु तंत्र विद्यमान था।

ys{kk ijh{kk dh dl kSV; k;

2-2-4 डिस्कॉम्स के निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित लेखा परीक्षा कसौटियाँ थीं :

- विद्युत अधिनियम, 2003;
- यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 एवं टैरिफ आदेश;
- राज्य की ऊर्जा नीति 2009, व्यापार योजना, राज्य सरकार/यूपीईआरसी/यूपीपीसीएल की गाइडलाइन्स/निर्देश/दिशानिर्देश;
- डिस्कॉम्स के निदेशक मण्डल की सभाओं से सम्बन्धित कार्यक्रम, कार्यवृत्त तथा डिस्कॉम्स द्वारा निर्गत दिशा निर्देश; और
- मितव्ययिता, कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता के सिद्धान्तों के सन्दर्भ में अनुबंध निष्पादित करने विषयक मानक कार्यविधियां, तकनीकी एवं गैर तकनीकी हानियों से सम्बन्धित मानदण्ड।

ys{kkijh{kk dk {ks= , oa dk; i) fr

2-2-5 वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा जनवरी 2014 से अक्टूबर 2014 के दौरान सम्पादित की गयी। लेखापरीक्षा जाँच में तीनों डिस्कॉम्स के मुख्यालय एवं चयनित इकाईयों के अभिलेखों की जाँच शामिल की गयी। तीनों डिस्कॉम्स में 311 इकाईयाँ थीं। इन कुल इकाईयों में से 67 इकाईयाँ¹⁷ (21.5 प्रतिशत) का चयन स्ट्राटिफाईड रैण्डम नमूना आधार पर किया गया था। विद्युत का विक्रय डिस्कॉम्स के राजस्व का मुख्य स्रोत है। 2009-10 से 2012-13 के दौरान कुल टर्नओवर ₹ 38,577.42 करोड़ के सापेक्ष डिस्कॉम्स की नमूना इकाईयों का टर्नओवर ₹ 10,422.85 करोड़ (27.02 प्रतिशत) था।

लेखापरीक्षा की कसौटियों के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपनायी गयी कार्यविधि के अन्तर्गत, 5 मई 2014 को आयोजित इन्ट्री कॉन्फ्रेंस में उच्च प्रबंधन एवं शासन को लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं उद्देश्यों के बारे में अवगत कराना, डिस्कॉम्स के मुख्यालय एवं चयनित इकाईयों के अभिलेखों की जाँच करना, लेखा परीक्षा की गयी इकाईयों के कार्मिकों से संवाद करना, लेखा परीक्षा की कसौटियों के सन्दर्भ में आंकड़ों का विश्लेषण करना, लेखापरीक्षा पृच्छाएं करना तथा प्रबंधन एवं शासन की टिप्पणियों हेतु ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत करना, शामिल था। 8 दिसम्बर 2014/29 दिसम्बर 2014 को आयोजित एक्विजिट कॉन्फ्रेंस में प्रबंधन एवं शासन के साथ लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार विमर्श किया गया। म.वि.वि.नि.लि.,

¹⁷ विद्युत वितरण खण्ड (ईडीडी), विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (ईयूडीडी), विद्युत भण्डार खण्ड (ईएसडी), विद्युत द्वितीयक कार्य खण्ड (ईएसडब्ल्यूडी) एवं विद्युत कार्यशाला खण्ड (ईडब्ल्यूडी)

द.वि.वि.नि.लि. एवं पू.वि.वि.नि.लि. के उत्तर क्रमशः दिसम्बर 2014, जनवरी 2015 एवं दिसम्बर 2014 में प्राप्त हुए जिन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा में समुचित रूप से शामिल किया गया। शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

ys[kk i jh{kk i gk.k

डिस्कॉमवार लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है :

e/; kpy fo | r forj.k fuxe fyfeVM %e-fo-fo-fu-fy-%

2-2-6 म.वि.वि.नि.लि. 19 जिलों में स्थित 33.36 लाख उपभोक्ताओं की विद्युत वितरण आवश्यकता की पूर्ति करता है (मार्च 2014)। वितरण नेटवर्क की पर्याप्तता पर हमारी आपत्तियां निम्नवत उल्लिखित हैं :

forj.k uVodZ dh i ; kIrrk

2-2-7 उत्तर प्रदेश शासन (जीओयूपी) द्वारा अक्टूबर 2009 में जारी की गयी ऊर्जा नीति 2009 के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु डिस्कॉम्स द्वारा नये उपकेन्द्रों (एसएस) एवं 33 केवी लाइनों के निर्माण, विद्यमान एसएस की क्षमता वृद्धि एवं वितरण परिवर्तकों की समय से स्थापना तथा उनकी मरम्मत एवं अनुरक्षण के द्वारा पर्याप्त एवं मजबूत वितरण नेटवर्क सुनिश्चित करना आवश्यक था। उपभोक्तों के संयोजित भार की पूर्ति हेतु उपकेन्द्र की स्थापित क्षमता को ट्रान्सफार्मेशन क्षमता कहा जाता है। आपूर्ति संहिता के क्लॉज 4.2(अ) के अनुसार, जहाँ कहीं भी विद्यमान ट्रान्सफार्मेशन क्षमता अपनी क्षमता की 80 प्रतिशत तक भारित हो, एसी ट्रान्सफार्मेशन क्षमता के संवर्द्धन हेतु लाईसेन्सी द्वारा एक योजना तैयार किया जाना आवश्यक है।

म.वि.वि.नि.लि. से सम्बन्धित विद्यमान एवं आवश्यक ट्रान्सफार्मेशन क्षमता तथा क्षमता में विद्यमान कमी की स्थिति का विस्तृत उल्लेख ifjf'k"V 2-2-1 , 0a 2-2-2 में किया गया है और संक्षिप्त विवरण सारिणी 2.2.2 में दिया गया है।

Lkkfj . kh&2-2-2

Øe I ; k	fooj . k	{kerk % , eoh, %
1	अप्रैल 2009 को विद्यमान ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता	4460
2	अप्रैल 2009 को आवश्यक ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता	7081
3	अप्रैल 2009 को ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता में कमी (पंक्ति : 2-1)	2621
4	मार्च 2014 को विद्यमान ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता	5598
5	मार्च 2014 को आवश्यक ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता	9338
6	मार्च 2014 को ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता में कमी (पंक्ति : 5-4)	3740
7	2009-10 से 2013-14 के दौरान बढ़ायी जाने वाली आवश्यक ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता (पंक्ति : 5-पंक्ति : 1)	4878

I kr % e-fo-fo-fu-fy- }kj k nh x; h I puk

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि अप्रैल 2009 में ट्रान्सफार्मेशन क्षमता में 2621 एमवीए की कमी मार्च 2014 में बढ़कर 3740 एमवीए हो गयी। यह इस बात का संकेतक थी कि म.वि.वि.नि.लि. की ट्रान्सफार्मेशन क्षमता अतिभारित चल रही थी और सम्पूर्ण वितरण नेटवर्क के लिए खतरा उपस्थित कर रही थी। ट्रान्सफार्मेशन क्षमता में विद्यमान कमी का कारण पता लगाने हेतु हमने, नियोजन हेतु आवश्यक क्षमता, नियोजित एवं प्राप्त की गयी क्षमता से सम्बंधित आँकड़ों का विश्लेषण किया जिनका विस्तृत उल्लेख ifjf'k"V 2-2-1 , 0a 2-2-2 में किया गया है एवं संक्षिप्त विवरण सारिणी 2.2.3 में दिया गया है।

Lkkfj . kh&2-2-3

Øe l Ø	fooj .k	{kerk ¼, eoh, ½
1	2009-10 से 2013-14 के दौरान नियोजन हेतु आवश्यक ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता।	4878
2	2009-10 से 2013-14 के दौरान नियोजित क्षमता।	1500
3	2009-10 से 2013-14 के दौरान की गयी क्षमता वृद्धि।	1138
4	नियोजित क्षमता वृद्धि के सापेक्ष कमी {(पंक्ति :2-3)x100/पंक्ति :2}	362 (24%)
5	मार्च 2014 को क्षमता में कमी {(पंक्ति :1-3)x100/पंक्ति :1}	3740 (77%)

I kr %e-fo-fofufy- }jkk nh x; h l puk

उपर्युक्त सारिणी से देखा जा सकता है कि :

- नियोजन एवं वृद्धि हेतु आवश्यक 4878 एमवीए की क्षमता के सापेक्ष म.वि.वि.नि.लि. ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान क्रमशः 1500 एमवीए एवं 1138 एमवीए की क्षमता का नियोजन एवं उसमें वृद्धि किया। परिणामस्वरूप, मार्च 2014 में म.वि.वि.नि.लि. की ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता में अपर्याप्त नियोजन के कारण 3740 एमवीए (77 प्रतिशत) की कमी थी। अपर्याप्त नियोजन का कारण, म.वि.वि.नि.लि. द्वारा एकीकृत वार्षिक नियोजन तैयार करने के बजाय तदर्थ आधार पर नियोजन करना था।

- अग्रेतर, म.वि.वि.नि.लि. 1500 एमवीए की नियोजित क्षमता वृद्धि प्राप्त करने में विफल रहा जिसके परिणाम स्वरूप 2009-10 से 2013-14 के दौरान 362 एमवीए (24 प्रतिशत) की कमी रही। उपर्युक्त कमी के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित कारण कार्य को प्रारम्भ करने में विलम्ब, भूमि की अनुपलब्धता, उपकेन्द्र के निर्माण हेतु ठेकेदारों को सामग्री उपलब्ध कराने में विलम्ब तथा स्थानीय विवादों आदि से सम्बन्धित थे।

म.वि.वि.नि.लि. को ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता की कमी को घटाने हेतु पर्याप्त रूप से नियोजन करना तथा बनाई गई योजना का कड़ाई से अनुपालन करना आवश्यक है।

dk; &vuprk inku djuk

2-2-8 कार्य-अनुबंधों को प्रदान करने में मितव्ययिता तथा प्रभावशीलता का निर्धारण करने हेतु हमने म.वि.वि.नि.लि. द्वारा प्रदान किये गये कार्य-अनुबंधों से सम्बन्धित प्रकरणों का विश्लेषण किया। इस सम्बन्ध में पायी गयी अनियमितताओं की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है :

forj .k ifjor dka dh ejEer grq vuprk

2-2-9 डिस्कॉम्स ने वितरण परिवर्तकों (डीटी) की मरम्मत का कार्य, बाह्य एजेन्सियों एवं साथ ही विभागीय परिवर्तक मरम्मत कार्यशालाओं (टीआरडब्ल्यू) के माध्यम से सम्पन्न कराया। डीटी की मरम्मत के सम्बन्ध में पायी गयी अनियमितताओं की चर्चा निम्नवत की गयी है।

mPp i dst nj inku djuk

2-2-10 बाह्य एजेन्सियों के माध्यम से डीटी मरम्मत हेतु, डिस्कॉम्स ने पैकेज दर अनुबंध प्रदान किया। पैकेज के अन्तर्गत मुख्य लागत परिवर्तकों की मरम्मत में प्रयोग की जाने वाली एल्यूमिनियम/कॉपर क्वॉइल की लागत से सम्बन्धित थी। एल्यूमिनियम/कॉपर क्वॉइल की लागत आ.इ.इ.एम.ए. (ईमा) परिपत्र के अनुसार एल्यूमिनियम/कॉपर रॉड की लागत तथा रॉड को क्वॉइल में बदलने की लागत पर आधारित थी। क्वॉइल के पैकेज दरों की तर्कसंगतता का पता लगाने हेतु डिस्कॉम को ईमा परिपत्र के अनुसार एल्यूमिनियम/कॉपर रॉड की प्रचलित दर तथा रॉड को क्वॉइल में बदलने की लागत के आधार पर दर का विश्लेषण करना आवश्यक था।

डिस्कॉम्स द्वारा किये गये चालू मरम्मत अनुबंधों¹⁸ से ज्ञात हुआ कि एल्यूमिनियम एवं कॉपर क्वॉइल की प्रति किग्रा० प्रदत्त पैकेज दरों¹⁹ में विभिन्न क्षमता वाले परिवर्तकों के सम्बन्ध में क्रमशः ₹ 165.84 से ₹ 212.00 प्रति किग्रा० एवं ₹ 257.92 से ₹ 290.25 प्रति किग्रा० तक भिन्नता थी ॥ f'k"V 2-2-3॥

मई 2013 में प्रदान किये गये एक समवर्ती मरम्मत अनुबंध में हमने देखा कि ईमा सर्कुलर के अनुसार जनवरी 2013 में प्रचलित रॉड की लागत का 20.16 प्रतिशत के बराबर रॉड को क्वॉइल में बदलने की लागत थी। रॉड की लागत पर 20.16 प्रतिशत की परिवर्तन लागत²⁰ का प्रयोग करते हुए हमने उक्त प्रदत्त दरों (समीक्षा अवधि के दौरान चालू अनुबंध होने के कारण) का विश्लेषण किया और पाया कि अनुमन्य की जाने वाली पैकेज दरें एल्यूमिनियम क्वॉइल हेतु ₹ 110.49 प्रति किग्रा० तथा कॉपर क्वॉइल हेतु ₹ 157.58 प्रति किग्रा० थी जो प्रदत्त पैकेज दरों से 26.62 से 47.88 प्रतिशत ॥ f'k"V 2-2-3॥ तक कम थी। अतएव, दरों की तर्कसंगतता के निर्धारण हेतु बिना किसी दर विश्लेषण के पैकेज दरों को प्रदान करने के कारण म.वि.वि.नि.लि. ने 2011-12 से 2013-14 के दौरान 28538 डीटी की मरम्मत पर ₹ 10.26 करोड़ का अधिक व्यय किया।

, poh@, yoh Doklby ij vf/kd oS dk Hkqrku

2-2-11 उत्तर प्रदेश मूल्य वर्द्धित कर (वैट) अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II के अनुसार मरम्मतकर्ता फर्मों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एल्यूमिनियम एवं कॉपर एचवी/एलवी क्वॉइल पर चार प्रतिशत की दर से वैट देय था। किन्तु उ०प्र० वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत, आयुक्त, व्यापार कर ने इस आधार पर कि एल्यूमिनियम एवं कॉपर एचवी/एलवी क्वॉइल अनुसूची 126 के अन्तर्गत पृथक रूप में वर्गीकृत नहीं है, उपर्युक्त सामग्री पर वैट लगाने हेतु 12.5 प्रतिशत की दर निर्णीत किया (17 मार्च 2008)।

vk; Ør] 0; ki kj dj
ds fu.kZ ds fo:)
l ek/kku dk mik; u
djus ds
ifj.kkeLo: lk
ejEerdrkZ Qek dks
oS en es ₹ 6-83
dj kM+ dk vf/kd
Hkqrku fd; k x; k

हमने पाया कि एल्यूमिनियम एवं कॉपर एचवी/एलवी क्वॉइल चार प्रतिशत की वैट दर हेतु अनुसूची-II में विशिष्ट रूप से वर्गीकृत थी। पुनश्च, म.वि.वि.नि.लि., अपनी मरम्मत कार्यशालाओं के अन्तर्गत परिवर्तकों की मरम्मत हेतु क्रय की गयी एल्यूमिनियम एवं कॉपर तार हेतु भी चार प्रतिशत की दर से वैट का भुगतान कर रहा था। इसके बावजूद, आयुक्त, व्यापार कर के उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध, म.वि.वि.नि.लि. ने उच्च प्राधिकारियों के स्तर से समाधान का उपाय नहीं किया जिसकी वजह से 2009-10 से 2013-14 के दौरान मरम्मतकर्ता फर्मों को उच्च दरों²¹ पर वैट मद में ₹ 6.83 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

मितव्ययिता बनाये रखने हेतु कार्य अनुबंध प्रदान करने के सम्बंध में म.वि.वि.नि.लि. द्वारा पर्याप्त दर विश्लेषण किया जाना चाहिए।

i f'k'k'V 2-2-3॥

2-2-12 उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति, एक अच्छी वितरण प्रणाली के निष्पादन एवं उसकी परिचालनीय कार्यकुशलता की संकेतक है। परिचालनीय कार्यकुशलता लो-टेंशन (एलटी) वितरण नेटवर्क को न्यूनतम करके एवं कैपिसिटर बैंक स्थापित करके कम की गयी उप-पारेषण एवं वितरण हानियों से प्रदर्शित होती है। वितरण प्रणाली के निष्पादन एवं इसकी परिचालनीय कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले मामलों की चर्चा निम्नवत की गयी है :

¹⁸ 2005-06 के दौरान डिस्कॉम्स द्वारा क्रियान्वित।

¹⁹ क्वॉइल की प्रदत्त पैकेज दरें 1 नवम्बर 2003 को प्रचलित एल्यूमिनियम एवं कॉपर रॉड की दर पर आधारित थी, जो ईमा सर्कुलर के अनुसार आपूर्ति की तिथि पर प्रचलित दर पर आगणित भिन्नता के अनुसार परिवर्तनीय थी।

²⁰ 1 नवम्बर 2003 को एल्यूमिनियम रॉड ₹ 91.95 प्रति किग्रा० एवं कॉपर रॉड ₹ 131.14 प्रति किग्रा० थी।

²¹ 2009-10 : 13 प्रतिशत, 2010-11 से 2012-13 : 13.5 प्रतिशत एवं 2013-14 : 14 प्रतिशत।

mi & i kj'sk.k , oa forj .k gkfu; ka

2-2-13 विद्युत प्रणाली, विद्युत उत्पादन स्रोत एवं अन्तिम स्तर पर विद्युत उपभोक्ता के बीच एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कड़ी है। उत्पादन स्रोत से उपभोक्ता तक विद्युत पहुँचने में नेटवर्क में कुछ विद्युत की हानि हो जाती है। हानियाँ मुख्यतः दो कारणों यथा तकनीकी एवं वाणिज्यिक (टीएण्डसी) से होती है। विक्रय हेतु उपलब्ध विद्युत तथा बिल की गयी विद्युत एवं म.वि.वि.नि.लि. द्वारा की गयी टीएण्डसी हानियाँ तथा यूपीईआरसी द्वारा हानियों के सम्बंध में निर्धारित लक्ष्य को सारिणी 2.2.4 में प्रदर्शित किया गया है।

Lkkfj . kh&2-2-4

Øe l 0	fooj .k	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (vufllre)
1	2	3	4	5	6	7
1.	विक्रय हेतु उपलब्ध विद्युत	9755	10945	12537	13146	14175
2.	बिल की गयी विद्युत	7546	7878	9233	9880	10710
3.	विद्युत हानियाँ (1 – 2)	2209	3067	3304	3266	3465
4.	विद्युत हानियों की प्रतिशतता $\{(3 / 1) \times 100\}$	22.64	28.02	26.35	24.84	24.44
5.	यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य (प्रतिशत)	18	28.08	25.63	23.63	27.05
6.	अधिक हानियाँ (मि0यू0 में)	452.64	शून्य	90.27	159.07	लागू नहीं
7.	प्रति इकाई औसत वसूली दर (₹ में) ²²	3.36	4.25	4.16	4.31	लागू नहीं
8.	अधिक हानियों का मूल्य (₹ करोड़ में) (6 x 7)	152.09	लागू नहीं	37.55	68.56	लागू नहीं

l kr % e-fo-fo-fu-fy- }kjk nh x; h l puk

2010&14 ds nkjku
Vh, .MI h gkfu; k; rhu
o"kkā ea ; ihb&kj l h
}kjk vuell; l hek l s
vf/kd Fkha ft udk
eW; ₹ 258-20 dj kMh-
Fkk

उपर्युक्त सारिणी से देखा जा सकता है कि टीएण्डसी हानियाँ 2010–11 एवं 2013–14 के दौरान यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत थी और शेष तीन वर्षों में लक्ष्य से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 258.20 करोड़ मूल्य की 701.97 मि0यू0 विद्युत की हानि हुई। हमने देखा कि उपर्युक्त अधिक हानियों के कारण एलटी का एचटी प्रणाली में परिवर्तन न करना, एसएस पर कैपिसिटर बैंक स्थापित न करना एवं परिवर्तकों की मरम्मत में अधिक भार–हानि अनुमन्य करने से सम्बन्धित थे, जिनकी चर्चा प्रस्तर 2.2.14, 2.2.15 एवं 2.2.16 में की गयी है।

yk&Vd ku ¼, yVh½ dk mPp&Vd ku ¼, pVh½ iz kkyh ea ifjorū u djuk

2-2-14 एचटी प्रणाली से विद्युत की आपूर्ति से उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर विद्युत की आपूर्ति में सुधार होता है और विद्युत चोरी में कमी के द्वारा विद्युत हानियाँ कम होती हैं। भारत सरकार ने भी एलटी प्रणाली को एचटी प्रणाली में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर बल दिया (फरवरी 2001)।

हमने देखा कि 2009–10 के प्रारम्भ में म.वि.वि.नि.लि. के अन्तर्गत 1.01 लाख किमी0 एचटी एवं 2.91 लाख किमी0 एलटी लाइने थीं। आपूर्ति की एलटी प्रणाली को कम करने हेतु म.वि.वि.नि.लि. द्वारा विद्यमान एलटी लाइनों को नई एचटी लाइनों में परिवर्तित करके, एलटी लाइनों को कम किया जाना था। हमने देखा कि एलटी लाइनों को कम करने के बजाय म.वि.वि.नि.लि. ने 2009–10 से 2013–14 के दौरान 32000 किमी0 एचटी लाइनों एवं 38000 किमी0 एलटी लाइनों के निर्माण हेतु नियोजन किया। नियोजन के सापेक्ष, म.वि.वि.नि.लि. ने 28952 किमी0 एचटी लाइनों (अप्रैल 2009 में विद्यमान एचटी लाइनों का 29 प्रतिशत) एवं 35367 किमी0 नई एलटी लाइनों (अप्रैल 2009 को विद्यमान एलटी लाइनों का 12 प्रतिशत) का निर्माण किया। यह इस बात का संकेतक था कि म.वि.वि.नि.लि. का ध्यान एलटी लाइनों को एचटी लाइनों में परिवर्तन द्वारा एलटी लाइनों को कम करने पर केन्द्रित नहीं था।

²² शुद्ध विक्रीत विद्युत/विक्रय से प्राप्त राजस्व (राजस्व सॉफ्टवेयर को शामिल करते हुए)

dfi fl Vj ckd dh LFkki uk u djuk

2-2-15 33/11 केवी उपकेन्द्र पर कैपिसिटर बैंकों (सीबी) की स्थापना से धारा प्रवाह को विनियमित करते हुए पावर फैक्टर में सुधार होता है और विद्युत हानि की बचत होती है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने आकलित किया (जुलाई 1993) कि प्रत्येक 5 एमवीए द्वितीयक उपकेन्द्र पर 2.4 मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव (एमवीएआर) क्षमता का एक कैपिसिटर बैंक स्थापित करने से 0.118 मि0यू0 ऊर्जा की प्रतिवर्ष बचत होती है।

773-28 , eoh, vkj
{kerk ds dsi I Vj
c:dk dh LFkki uk u
djus ds
i fj .kkeLo: lk
₹ 16-04 djkm+ eW;
dh ifro"nz fo|qr
gkfu gpbZ

हमने देखा कि म.वि.वि.नि.लि. में 1611 एमवीए क्षमता के 174 उपकेन्द्र पर 773.28 एमवीएआर²³ क्षमता के सीबी की स्थापना की आवश्यकता थी। किन्तु यह, उपकेन्द्रों पर सीबी की स्थापना हेतु नियोजन तक करने में विफल रहा। आवश्यक क्षमता के सीबी की स्थापना न करने के कारण म.वि.वि.नि.लि. ₹ 16.04 करोड़ मूल्य की प्रतिवर्ष विद्युत हानि की बचत नहीं कर पाया जिसका उल्लेख ifjf'k"V 2-2-4 में किया गया है।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2014) कि सीबी की स्थापना हेतु नियोजन किया जा चुका है और आगामी वर्षों में इनकी स्थापना हो जायेगी।

forj.k ifjor:dk dh ejEer ea vf/kd ykM ykM vupeL; djuk

ifjor:dk dh ejEer
grq f0; kflor vup:dk
ds vlr:zr futl
ejEerdrkz Qek: dks
vf/kd Hkkj & gkfu
vupeL; djus ds
dkj.k e-fo-fo-fu-fy-
₹ 5-86 djkm+ eW;
dh 13-59 fe0; 0
fo|qr dh cpr djus
ea foQy jgk

2-2-16 सीईए की गाइडलाइन्स (अगस्त 2008) के अनुसार परिवर्तकों की विद्युत कार्यकुशलता हेतु नियत वोल्टेज एवं 75⁰ से0 प्रवाह पर 250 से 1000 केवीए क्षमता के डीटी हेतु अधिकतम अनुमन्य लोड लॉस 3200 से 9800 के डब्ल्यू एच के मध्य थी। हमने देखा कि उपर्युक्त गाइडलाइन्स के प्रतिकूल 2010-11 से 2013-14 के दौरान निजी मरम्मतकर्ता फर्मों को प्रदान किये गये डीटी की मरम्मत हेतु अनुबंधों में 3600 से 11200 केडब्ल्यूएच की लोड लॉस सीमा अनुमन्य करने के कारण म.वि.वि.नि.लि., 2011-12 से 2013-14 के दौरान मरम्मत किये गये 250 से 1000 केवीए क्षमता के 148 परिवर्तकों की मरम्मत में ₹ 5.86 करोड़ मूल्य की 13.59 मि0यू0 ऊर्जा की बचत करने से वंचित रहा।

टीएण्डसी हानियों को नियंत्रित करने हेतु म.वि.वि.नि.लि. को सीबी की स्थापना एवं एलटी का एचटी प्रणाली में परिवर्तन जैसे उपाय करने चाहिए।

fcfyx , oa l xg.k dk; bdkyrk

2-2-17 आपूर्ति संहिता के क्लॉज 6.1 के अनुसार अधिसूचित बिलिंग चक्र के अन्त में डिस्कॉम्स को प्रत्येक उपभोक्ता के विद्युत उपभोग का पठनाँक लेना था। डिस्कॉम्स के अन्तर्गत बिलिंग का कार्य, बिलिंग एजेन्सियों को लगाकर एवं खण्ड स्तर पर नियोजित मानव शक्ति के द्वारा खण्ड स्तर पर किया जाता है। लो मीडियम वोल्टेज अर्थात एलएमवी-1,2,4,5,6 एवं 10 के छः वर्गों के उपभोक्ताओं की बिलिंग कम्प्यूटराइज्ड बिलिंग पद्धति से की जाती है और शेष आठ वर्गों (लो मीडियम वोल्टेज की चार श्रेणियाँ अर्थात एलएमवी-3,7,8,9 एवं हाई वोल्टेज की चार श्रेणियाँ अर्थात एचवी-1,2,3,4) के उपभोक्ताओं की बिलिंग, मैनुअल ढंग से की जाती है।

2010-14 की अवधि के दौरान, 60558 मि0यू0 विद्युत विक्रय हेतु उपलब्ध थी जिसके विरुद्ध म.वि.वि.नि.लि. ने 45247 मि0यू0 विद्युत (74.72 प्रतिशत) की बिलिंग किया। बिलिंग से सम्बन्धित अनियमितताओं की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है :

vYi fcfyx

2-2-18 सही बिलिंग सुनिश्चित करने हेतु, डिस्कॉम्स द्वारा लागू टैरिफ आदेशों, आपूर्ति संहिता के प्राविधानों एवं शासनादेशों का अनुपालन करना आवश्यक था। हमने म.वि.वि.नि.लि. के 60 में से 18 ईडीडी के मैनुअल बिलिंग के प्रकरणों की परीक्षण जाँच

²³ 2.4 एमवीएआर x 1611 एमवीए/5

VfjQ vkn'k] vki frZ
l fgrk ds i ko/kkuka ds
mYy@ku ea dh x; h
mi HkkDrkvka dh
fcfyx dh otg l s
₹ 3-04 djkm+ dh vYi
fcfyx gpl

2013&14 ea 13270
mi HkkDrkvka ds
₹ 222-59 djkm+ ds
fcy ₹ 12-64 djkm+ ij
l d kks/kr fd; s x; s
ftl ea ₹ 209-95 djkm+
dh /kujkf'k ekQ dh
x; h

की और देखा कि लागू प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप चार विभिन्न प्रकरणों में ₹ 3.04 करोड़ की अल्प बिलिंग हुई जिनका उल्लेख ifjf'k"V 2-2-5 में किया गया है। अल्प बिलिंग के कारण सही माँग प्रभार न लगाना, गलत टैरिफ दर का प्रयोग करना एवं अनुचित लोड फैक्टर रिबेट प्रदान करने से सम्बन्धित थे।

vR; f/kd fcy l d kks/ku

2-2-19 बिलों में अनावश्यक संशोधन एवं देयों की वसूली में अनावश्यक विलम्ब से बचने हेतु आपूर्ति संहिता के क्लॉज 6.1 में प्रावधानित है कि डिस्कॉम्स द्वारा बिलिंग चक्र के अनुसार उपभोक्ताओं को सही बिल निर्गत करना, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमने देखा कि म.वि.वि.नि.लि., उपर्युक्त आवश्यकता के अनुपालन में विफल रहा और 2013-14 में 13270 उपभोक्ताओं²⁴ के ₹ 222.59 करोड़ के बिलों को ₹ 12.64 करोड़ पर संशोधित किया और ₹ 209.95 करोड़ माफ कर दिया जो बिल की गयी धनराशि में 28.72 प्रतिशत से 99.07 प्रतिशत %ifjf'k"V 2-2-6½ के मध्य संशोधन का संकेतक था। बिलों में इस प्रकार संशोधन के कारण, प्रोविजनल आधार²⁵ पर बिल निर्गत करना, गलत मीटर पठनाँक पर आधारित बिल, मीटर बदलने की एडवाइस भेजने में विलम्ब, मीटर सीलिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विलम्ब एवं उपभोक्ताओं द्वारा पूर्व में भुगतान किये गये बिलों की धनराशि का समायोजन/पोस्टिंग न करने आदि से सम्बन्धित थे।

jktLo l xg.k dk; bdkyrk

2-2-20 डिस्कॉम्स के अन्तर्गत, राजस्व संग्रहण का कार्य खण्ड, उपखण्ड एव उपकेन्द्र स्तर पर नियोजित संग्रहण स्टॉफ एवं बाह्य सरकारी सोसाइटी यथा ई-सुविधा तथा निजी एजेन्सियों को सम्बद्ध करके किया जाता है। राजस्व संग्रहण कार्यकुशलता का आकलन वर्ष के प्रारम्भ में बकाया धनराशि, वर्ष के दौरान निर्धारित राजस्व, संग्रहीत राजस्व एवं वर्ष के अन्त में बकाया धनराशि के आधार पर किया जाता है।

राजस्व संग्रहण कार्यकुशलता से सम्बन्धित अनियमितताओं की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है :

ns ka dh vi Hkkoh ol iyh

2-2-21 म.वि.वि.नि.लि. के अन्तर्गत बकाया देयों एवं उनके सापेक्ष वसूली की स्थिति सारिणी 2.2.5 में प्रदर्शित की गयी है।

Lkkfj . kh&2-2-5

₹ djkm+edh

Øe l d; k	fooj.k	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7
1	वर्ष के प्ररम्भ में बकाया देय	6081	6005	6263	6491	6855
2	वर्ष के दौरान निर्धारित/बिल किया गया राजस्व	2369	3124	3509	4025	5171
3	वसूली हेतु देय कुल धनराशि (1+2)	8450	9129	9772	10516	12026
4	वर्ष के दौरान वसूल की गयी धनराशि	2129	2575	2858	3121	5568
5	वर्ष के दौरान माफ की गयी धनराशि	317	291	422	541	1618
6	वर्ष के अन्त में बकाया देय	6004	6263	6492	6854	4840
7	कुल देयों के सापेक्ष वसूल की गयी धनराशि की प्रतिशतता (4/3)	25.20	28.21	29.25	29.68	46.30

l kr % e-fofo-fu-fy- }jfk nh x; h l puk

²⁴ एलएमवी-1,2,4,5 एवं 6 श्रेणी के उपभोक्ता

²⁵ एन ए - नॉन- एक्सेसिबुल, एनआर = नो रीडिंग, आईडीएफ = इनफार्मड डिफेक्टिव, एडीएफ = एपीयर्ड डिफेक्टिव, आरडीएफ = रीडिंग डिफेक्टिव एवं सीडीएफ = कम्प्यूटर डिफेक्टिव

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि मार्च 2010 के अन्त में वसूली योग्य देय ₹ 6,004 करोड़ से घट कर मार्च 2014 के अन्त में ₹ 4,840 करोड़ (19.39 प्रतिशत) हो गये, जो उक्त अवधि के दौरान संग्रहण कार्यकुशलता में 25.20 प्रतिशत से 46.30 प्रतिशत की वृद्धि का संकेतक था। हमने देखा कि संग्रहण कार्यकुशलता, यद्यपि 2010-14 में बढ़ी किन्तु भारी बकाया धनराशि की दृष्टि से प्रभावकारी नहीं थीं। देयों की अप्रभावी वसूली के कारण, देयों की वसूली हेतु निर्धारित प्रक्रिया को लागू न करने यथा समयानुसार विद्युत आपूर्ति के अस्थायी विच्छेदन सम्बन्धित कार्यवाही, स्थायी विच्छेदन के मामलों का समय से निस्तारण, वसूली नोटिस तत्परता से निर्गत करना एवं देयों के भुगतान हेतु नियमित रूप से उपभोक्ताओं का अनुसरण करने से सम्बन्धित थे।

ol nyh i ek.ki =ka ds ek/; e l syffecr ns ka dh ol nyh

2-2-22 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 में प्रावधान है कि यदि उपभोक्ता विद्युत देयों के भुगतान में विफल रहता है तो उत्तर प्रदेश शासकीय विद्युत उपक्रम (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958 की धारा-3 के अन्तर्गत देयों की वसूली हेतु एक डिमाण्ड नोटिस भेजी जाती है। यदि डिमाण्ड नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो उपरोक्त अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत देयों की वसूली भू-राजस्व के रूप में करने हेतु जिला प्राधिकारियों को वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) भेजा जाना होता है।

हमने देखा कि आठ ईडीडी/ईयूडीडी²⁶ ने 2010-14 के दौरान वसूली हेतु ₹ 27.42 करोड़ मूल्य की 5752 आरसी जिला प्राधिकारियों (डीए) को प्रेषित की। इनमें से, उनके द्वारा 2010-14 के दौरान ₹ 15.51 करोड़ की 1887 आरसी इस अभ्युक्ति यथा उपभोक्ता का पता गलत होना, उपभोक्ता की मृत्यु होना, उपभोक्ता के नाम पर कोई परिसम्पत्ति न होना आदि के साथ वापस कर दी गयी। इन खण्डों द्वारा डीए द्वारा इंगित की गयी कमियों के समाधान हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिसके कारण ₹ 15.51 करोड़ के देयों की वसूली नहीं हुई और इनकी वसूली की सम्भावना नगण्य है।

म.वि.वि.नि.लि. द्वारा प्रभावी राजस्व वसूली हेतु उपभोक्ताओं को सही एवं समय पर बिल निर्गत करने हेतु लागू टैरिफ आदेशों, आपूर्ति संहिता के प्रावधानों एवं शासन के आदेशों का अनुपालन करना चाहिए।

mi HkkDRkk l r f V , oa i fjonukvka dk fuokj .k

2-2-23 उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 में यह प्राविधान किया गया है कि डिस्कॉम्स द्वारा समय से नये संयोजन अवमुक्त करने, कॉस्ट डाटा बुक (सीडीबी) के अनुसार संयोजन प्रभारों की वसूली तथा मीटरिंग इत्यादि से सम्बन्धित निष्पादन मानकों (एसओपी) का अनुपालन किया जाना चाहिए। उपभोक्ता शिकायतों हेतु सुगम पहुँच एवं उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए उनके समयानुसार एवं प्रभावी निवारण हेतु कॉल सेन्टर की स्थापना हेतु भी आपूर्ति संहिता में प्रावधान किया गया है।

उपभोक्ता संतुष्टि एवं परिवेदनाओं के निवारण के प्रकरणों से सम्बन्धित अनियमितताओं की चर्चा निम्नवत की गयी है :

ehVj LFkkfir u djuk

2-2-24 आपूर्ति संहिता, 2005 के क्लॉज 5.1 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी नया संयोजन बिना मीटर स्थापित किये प्रदान नहीं किया जायेगा और लाइसेन्सी द्वारा सभी मीटर-विहीन संयोजनों को मीटर-युक्त किया जायेगा। मीटर-विहीन उपभोक्ताओं को यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित स्थिर टैरिफ दरों पर विद्युत प्रभारों का भुगतान करना होता है। इसके कारण, जहाँ एक ओर डिस्कॉम्स, मीटर-विहीन उपभोक्ताओं द्वारा

Mh, }kjk vkj l h ds
vUrxR bfxr dfe; ka
ds l ek/kku gsrq
e-fo-fo-fu-fy- }kjk
dkbZ dk; bkg h u djus
ds dkj .k 2010&14 ds
nkjku ft yk
i kf/kdfj; ka }kjk
₹ 15-51 djkm+ eW;
dh oki l dh x; h
1887 vkj l h ds fo:)
ns ka dh ol nyh ugha
gpbZ

²⁶ ईडीडी बहराइच, ईडीडी-प्रथम, लखीमपुर खीरी, ईडीडी-प्रथम, बरेली, ईडीडी-प्रथम, हरदोई, ईडीडी बाराबंकी, ईडीडी बी0के0टी0, ईडीडी-द्वितीय बरेली ईयूडीडी ऐशबाग

उपभोग की गयी वास्तविक विद्युत के सापेक्ष राजस्व प्राप्त करने से वंचित होते हैं वहीं दूसरी ओर, ऐसे उपभोक्ताओं को उपभोग-निरपेक्ष, स्थिर विद्युत प्रभारों का भुगतान करना पड़ता है। यह इस बात का संकेतक था कि मीटर-विहीन संयोजनों को मीटर-युक्त करना अत्यधिक महत्वपूर्ण था। कुल उपभोक्ताओं, मीटर युक्त एवं मीटर-विहीन उपभोक्ताओं की स्थिति सारिणी 2.2.6 में प्रदर्शित की गयी है।

Lkkfj . kh&2-2-6

o"ki	mi HkkDrkvka dh l ; k	ehVj & ; Pr mi HkkDrk	ehVj & foghu mi HkkDrk	ehVj & foghu mi HkkDrkvka dh ifr'krk
1	2	3	4 (2-3)	5
2009-10	2691568	1672426	1019142	37.86
2010-11	2864268	1848792	1015476	35.45
2011-12	3029242	2013671	1015571	33.53
2012-13	3157661	2120916	1036745	32.83
2013-14	3336182	2254260	1081922	32.43

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि 2009-10 के अन्त में मीटर-विहीन उपभोक्ता 37.86 प्रतिशत थे, जो 2013-14 के अन्त में धीरे-धीरे घटकर 32.43 प्रतिशत हो गये।

हमने विद्यमान मीटर-विहीन उपभोक्ताओं हेतु कारणों का विश्लेषण किया और 67 ईडीडी में से 18 ईडीडी की हमारी परीक्षण जाँच में पाया कि म.वि.वि.नि.लि. ने 2010-14 के दौरान बिना मीटर स्थापित किये 92867 संयोजन, एलएमवी-1 उपभोक्ताओं एवं 6424 संयोजन, एलएमवी-5 उपभोक्ताओं को अवमुक्त किया था। हमने आगे देखा कि उपर्युक्त संयोजनों पर 2010-14 के दौरान उपभोक्ताओं से मीटर-चार्ज क्रमशः ₹ 3.55 करोड़ एवं ₹ 3.53 करोड़ जमा कराने के बाद भी मीटर स्थापित नहीं किये गये।

vki frl l fgrk ds
i ko/kkuka ds mYy?ku
ea 10-82 yk[k
32-43 ifr'kr½
mi HkkDrkvka dks
fcuk ehVj LFkfi r
fd; } fo | r vki frl
nh x; h Fkh

dhnt; dkkly l dhVj dh l e; kuq kj LFkki uk ea foQyrk

2-2-25 आपूर्ति संहिता, 2005 में क्लॉज 7.7.1 में प्रावधान किया गया है कि लाइसेन्सी द्वारा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों में क्रमानुसार, प्रथम चरण में निर्धारित समय सीमा के अन्दर केन्द्रीय कॉल सेन्टर (सीसीसी) स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा।

हमने देखा कि म.वि.वि.नि.लि. के अन्तर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला केवल एक शहर अर्थात् लखनऊ था। म.वि.वि.नि.लि. ने उस शहर में सात वर्षों के विलम्ब के पश्चात 2012 में सीसीसी की स्थापना किया, इस विलम्ब के कारण अभिलेखों में नहीं पाये गये। पुनश्च, अप्रैल 2012 से मार्च 2014 के दौरान प्राप्त कुल 33498 शिकायतों के विरुद्ध 16525 (49.33 प्रतिशत) शिकायतें अनिस्तारित पड़ी रहीं ½ fjf'k"V&2-2-7½। इस सम्बंध में कोई कारण अभिलेखित नहीं थे।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2014) कि सीसीसी की कार्यप्रणाली को सबल करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

nf{k.kkpy fo | r forj.k fuxe fyfeVM ½n-fo-fo-fy-½

2-2-26 द.वि.वि.नि.लि. 21 जिलों में फैले 25.66 लाख उपभोक्ताओं की विद्युत वितरण आवश्यकता की पूर्ति करता है (मार्च 2014)। लेखापरीक्षा के उद्देश्यवार वर्गीकृत लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है :

forj.k u\odl dh i ; krrk

द.वि.वि.नि.लि. द्वारा वितरण नेटवर्क के विकास से सम्बन्धित मामलों पर नीचे चर्चा की गयी है :

2-2-27 जैसा कि प्रस्तर 2.2.7 में चर्चा की गयी है, द.वि.वि.नि.लि. से सम्बन्धित विद्यमान एवं आवश्यक ट्रान्सफार्मेशन क्षमता तथा क्षमता में विद्यमान कमी का विस्तृत उल्लेख ifjf'k"V 2-2-1 , oa 2-2-2 में किया गया है एवं संक्षिप्तीकरण सारिणी 2.2.7 में किया गया है।

Lkkfj.kh&2-2-7

Øe l Ø	fooj.k	{kerk ¼, eoh, ½
1	अप्रैल 2009 को विद्यमान ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता	4969
2	अप्रैल 2009 को आवश्यक ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता	7862
3	अप्रैल 2009 को ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में कमी (पंक्ति : 2-1)	2893
4	मार्च 2014 को विद्यमान ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता	7121
5	मार्च 2014 को आवश्यक ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता	11231
6	मार्च 2014 को ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में कमी (पंक्ति : 5-4)	4110
7	2009-10 से 2013-14 के दौरान बढ़ायी जाने हेतु ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (पंक्ति:5-पंक्ति:1)	6262

I kr % n-fo-fo-fu-fy- }jkk nh x; h l puk

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि अप्रैल 2009 में ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में 2893 एमवीए की कमी मार्च 2014 में बढ़कर 4110 एमवीए हो गई। यह दर्शाता है कि द.वि.वि.नि.लि. की विद्यमान ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता अतिभारित चल रही थी और सम्पूर्ण वितरण प्रणाली के लिए खतरा उपस्थित कर रही थी। ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में विद्यमान कमी के कारणों का पता करने के लिए हमने नियोजन हेतु आवश्यक क्षमता, नियोजित क्षमता के साथ-साथ प्राप्ति से सम्बन्धित आँकड़ों को विश्लेषित किया जैसा कि ifjf'k"V 2-2-1 , oà 2-2-2 में उल्लिखित है तथा सारिणी 2.2.8 में संक्षेप में बताया गया है।

I kfj.kh&2-2-8

Øe l Ø	fooj.k	{kerk ¼, eoh, ½
1	2009-10 से 2013-14 के दौरान ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में की जाने वाली आवश्यक वृद्धि	6262
2	2009-10 से 2013-14 के दौरान नियोजित क्षमता	-
3	क्षमता वृद्धि हेतु नियोजन की कमी	-
4	2009-10 से 2013-14 के दौरान बढ़ायी गई क्षमता	2152
5	मार्च 2014 में क्षमता में कमी	4110 (66%)

I kr % n-fo-fo-fu-fy- }jkk i nkr l puka

उपर्युक्त सारिणी से यह देखा जा सकता है कि

- 6262 एमवीए की आवश्यक क्षमता वृद्धि के सापेक्ष द.वि.वि.नि.लि. ने 2010-14 के दौरान केवल 2152 एमवीए की क्षमता वृद्धि किया जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2014 में द.वि.वि.नि.लि. की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में 4110 एमवीए (66%) की कमी रही। हमने देखा कि द.वि.वि.नि.लि. ने क्षमता में कमी की पूर्ति के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई। इसलिए नियोजन में कमियाँ यदि कोई हो को इंगित नहीं की जा सका।

- 2008-09 से 2012-13 के दौरान निर्माण हेतु चिन्हित 16 उपकेन्द्र मार्च 2014 में अपूर्ण रहे। पूर्ण न होने के उत्तरदायी कारण जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया अनुबन्ध के अन्तिमीकरण में देरी, कार्य प्रारम्भ करने में देरी, ठेकेदार द्वारा कार्य को रोक देना तथा रेलवे से रेलवे क्रॉसिंग की अनुमति प्राप्त करने में देरी इत्यादि थे।

प्रबन्धन ने कहा (जनवरी 2015) कि नए उपकेन्द्र और लाइनों के निर्माण के लिए उचित योजना बनाई गई थी। उत्तर प्रबन्धन का पश्चातवर्ती विचार है क्योंकि वर्षवार योजना के सम्बन्ध कोई प्रपत्र और सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

वितरण नेटवर्क के विकास में दोषपूर्ण नियोजन तथा इसके कार्यान्वयन को दर्शाते अन्य विशिष्ट मामलों की चर्चा नीचे की गयी है :

- 2009-10 से 2013-14 के दौरान निर्मित, हाथरस में 20 तथा आगरा में पाँच 33/11 केवी क्षमता के उपकेन्द्र क्रमशः 16 से 64 प्रतिशत तथा 50 से 65 प्रतिशत भार पर चल रहे थे। इसके अलावा अगस्त 2011 में मंगोलीकलां, आगरा में निर्मित एक 33/11 केवी उपकेन्द्र स्थापना के बाद से ही अप्रयुक्त पड़ा था। लेकिन उपर्युक्त के

विपरीत, विद्युत वितरण खण्ड (ईडीडी)-III, आगरा में 12 उपकेन्द्र मार्च 2014 में 2.5 से 12.60 प्रतिशत की सीमा तक अतिभारित चल रहे थे।

प्रबन्धन ने आगरा में पाँच उपकेन्द्रों के सम्बन्ध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया तथा मंगोली कलाँ के सम्बन्ध में दिया गया उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दे को सम्बोधित नहीं करता था।

● ईएसडब्लूडी, अलीगढ़ ने दिसम्बर 2011 से जनवरी 2012 के दौरान प्रत्येक 5 एमवीए क्षमता के चार 33/11 केवी उपकेन्द्रों²⁷ का निर्माण किया। निर्मित हो जाने के बावजूद इनको सम्बन्धित खण्डों को हस्तान्तरित नहीं किया गया। अग्रेतर, परिवर्तको के कॉपर क्वायल एवं कोर चोरी²⁸ हो गए जिसके कारण उपर्युक्त उपकेन्द्रों पर स्थापित परिवर्तको को निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया गया तथा ₹ 1.15 करोड़²⁹ की लागत के नये परिवर्तकों को स्थापित किया गया। द.वि.वि.नि.लि. ने इसकी जाँच शुरू की और हानि के लिए ठेकेदार को उत्तरदायी ठहराया तथा वसूली हेतु ₹ 52.25 का निर्धारण किया। जिसमें से केवल ₹ 4.94 लाख की वसूली ठेकेदार से की जा सकी। इस प्रकार, ₹ 52.25 लाख की वसूली को ध्यान में रखने के पश्चात भी द.वि.वि.नि.लि. को उपकेन्द्रों की सुरक्षा एवं रखवाली में कमी के कारण ₹ 62.37 लाख की हानि वहन करनी पड़ी। इसकी वजह से उपकेन्द्रों को हस्तगत करने में नौ से 15 माह (नवम्बर 2012 से मई 2014) का विलम्ब भी हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (जनवरी 2015) कि चोरी हुई सामग्री की अनुमानित लागत के बराबर धनराशि सम्बन्धित ठेकेदारों के नाम विविध अग्रिम के रूप में दर्ज कर दिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि द.वि.वि.नि.लि. चोरी के कारण निष्प्रयोज्य हो गए परिवर्तको के मद में वहन की गई पूरी हानि की पूर्ति करने में विफल रहा।

dk; l vuϕll/k i nku djuk

2-2-28 जैसा कि प्रस्तर 2.2.8 में चर्चा की गई है, कार्य-अनुबन्धों को प्रदान करने में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है:

Rofjr vkfFkd fodkl ; kstuk ds vllrxir dk; k ds fu"i knu ea dfe; kj

2-2-29 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने जिलों में विकास गतिविधियों में गति लाने के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना (योजना) शुरू (अक्टूबर 2012) की। योजना के अन्तर्गत कार्य को केवल जीओयूपी विभागों की निर्माण एजेन्सियों द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। किसी भी दशा में, कार्य के क्रियान्वयन हेतु निजी संस्था का चयन नहीं किया जाना था।

प्रचलित पद्धति के अनुसार, डिस्कांम्स केवल विकेन्द्रीकृत सामग्री की आपूर्ति और स्थापना हेतु ही ठेके प्रदान करते हैं और केन्द्रीकृत सामग्री ठेकेदार को अलग से प्रदान करते हैं। द.वि.वि.नि.लि. ने यद्यपि, उपरिगामी वितरण प्रणाली को भूमिगत वितरण प्रणाली में बदलने के तीन कार्यों³⁰ को निजी ठेकेदारों³¹ को टर्न-की के आधार पर प्रदान किया। हमने देखा कि उपर्युक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु, केबिल (केन्द्रीकृत मद) द.वि.वि.नि.लि. द्वारा प्रदान नहीं किया गया, इसके बजाय ठेकेदार को द.वि.वि.नि. लि. द्वारा प्रयोग किये गये स्टाक इंड्यू रेट की तुलना में केबिलों की अधिक दर अनुमन्य की गई जिससे ₹ 9.14 करोड़ $\frac{1}{2}$ 2-2-8 का अतिरिक्त व्यय हुआ।

fo|eku i) fr dh
vogsyuk ea n-fo-
fo-fu-fy- us
Vu&dh Bxds ea
mPp njka ij
dfcy %dlnhd'r
en% dks 'kkfey
fd; k ft l ds dkj .k
₹ 9-14 djkm+ dk
vfrfjDr 0; ; gq/k

²⁷ सलेमपुर, नबीपुर महेबा, बिलखोरा तथा पटना पछी बिहार में।

²⁸ ईएसडब्लूडी द्वारा मई 2012 और जनवरी 2013 के मध्य दर्ज किए गए एकआईआर के अनुसार।

²⁹ एक 5 एमवीए परिवर्तक के स्टॉक इश्यू रेट (2012-13) का प्रयोग करके गणना की गई : ₹ 28,65,500x4

³⁰ मैनपुरी, सैफई टाउन, इटावा तथा तिरवा टाउन, कन्नौज में उपरिगामि विद्युत ऊर्जा वितरण प्रणाली को भूमिगत यांत्रिक विद्युत वितरण प्रणाली में बदलने हेतु कार्यों का क्रियान्वयन।

³¹ केईआई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली एसपी ब्राइट एवं चौधरी कंसल्टेशन कम्पनी, इटावा का सह उद्यम तथा राज कंसल्टेशन लिमिटेड मैनपुरी।

हमने पुनः पाया कि द.वि.वि.नि.लि. ₹ 10.45 करोड़ ¼i f'f'k"V 2-2-9½ के सेन्टेज प्रभारों³² हेतु अधिकृत था परन्तु इसे लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) तथा उर्जा विभाग द्वारा अस्वीकार (अक्टूबर 2013) कर दिया गया। द.वि.वि.नि.लि. द्वारा सेन्टेज की प्राप्ति हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (जनवरी 2015) कि सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग ने द.वि.वि.नि.लि. का चयन किया था तथा द.वि.वि.नि.लि. को कार्य पूर्ण करने की कार्यप्रणाली और सम्बन्ध में निर्णय लेने का विशेषाधिकार प्राप्त था, और जहाँ तक सेन्टेज का सम्बन्ध है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं थी क्योंकि धनराशि सरकार के ही पास थी। प्रबन्धन ने पुनः कहा कि टर्न-की ठेके में पूरे पैकेज की मदवार तुलना उचित नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना स्पष्ट रूप से बताती थी कि किसी भी दशा में कार्य के क्रियान्वयन हेतु किसी निजी संस्था का चयन नहीं किया जाना था और केबिल को संवेदनशील तथा केन्द्रीकृत मद होने के नाते, कार्य के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए टर्न-की ठेके में शामिल नहीं किया जाना था। इसके अतिरिक्त योजना से सेन्टेज के बारे में प्रावधान था परन्तु अनुसरण न करने के कारण द.वि.वि.नि.लि. इसे प्राप्त नहीं कर सका।

mPp i dSt nj dks i nku djuk

2-2-30 जैसा कि प्रस्तर 2.2.10 में चर्चा की गई है, दरों का विश्लेषण न करने के कारण 2009-10 से 2010-11 के दौरान 8678 डीटी की मरम्मत पर ₹ 3.48 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (जनवरी 2015) कि 25 केवीए परिवर्तकों में प्रयोग किये जाने वाले तार का आकार बहुत पतला था तथा जैसे-जैसे परिवर्तको की क्षमता बढ़ती है तार का आकार बढ़ता जाता है। पतले तार की लगत अधिक थी। इसलिए वाह्य एजेन्सियों को उच्च दरें अनुमन्य नहीं की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह ठेके को प्रदान करने से पूर्व दरों का विश्लेषण न करने के मुद्दे को सम्बोधित नहीं करता है।

, poh@, yoh Dok; y ij oM dk vf/kd Hkxrk

2-2-31 जैसा कि प्रस्तर 2.2.11 में चर्चा की गई है, आयुक्त, व्यापार कर के निर्णय के विरुद्ध प्रतिवाद न करने से 2009-10 से 2013-14 के दौरान मरम्मतकर्ता फर्मों को अधिक दरों³³ पर वैट के मद में ₹ 4.52 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (जनवरी 2015) कि उन्होंने आयुक्त, व्यापार कर, जीओयूपी के निर्णय का पालन किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि द.वि.वि.नि.लि. ने आयुक्त व्यापार कर के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं किया।

i f j pkyuh; dk; d dkyrk

परिचालन कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले मामलों की चर्चा नीचे की गई है :

mi & i k j s k . k , oa for j . k g k f u ; k

2-2-32 जैसा कि प्रस्तर 2.2.13 में चर्चा की गई है विक्रय के लिए उपलब्ध ऊर्जा की तुलना में बिल की गई ऊर्जा की स्थिति एवं द.वि.वि.नि.लि. द्वारा वहन की गई टी एण्ड सी हानियों के साथ-साथ यूपीईआरसी द्वारा नियत की गई हानियों की सीमा को सारिणी 2.2.9 में दर्शाया गया है :

³² (कार्य की लागत घटाया 5 प्रतिशत)* 12.5 प्रतिशत

³³ 2009-10: 13 प्रतिशत, 2010-11 से 2012-13: 13.5 प्रतिशत 2013-14: 14 प्रतिशत

I kfj .kh&2-2-9

Wefy; u ; fuV ezh

Øe l Ø	fooj .k	2009&10	2010&11	2011&12	2012&13	2013&14 Wufllre%
1	क्रय की गई ऊर्जा	12959	14296	16052	17331	20108
2	विक्रय की गई ऊर्जा	8840	11314	11335	12577	13151
3	ऊर्जा हानियाँ (1-2)	4118	2982	4717	4754	6957
4	ऊर्जा हानियों की प्रतिशतता (3 / 1x100)	31.78	20.86	29.39	27.43	34.60
5	यूपीईआरसी द्वारा नियत लक्ष्य (प्रतिशत)	24.00	31.47	30.23	29.00	28.00
6	अधिक हानियाँ (एमयू में)	1008.21	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1327.13
7	प्रति यूनिट औसत वसूली दर (₹ में) ³⁴	3.31	3.08	3.60	4.11	4.11 ³⁵
8	अधिक हानियों का मूल्य (₹ करोड़ में) (6x7)	333.72	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	545.45

I kr % n-to-fo-fu-fy- }kjk inkr l puka

उपर्युक्त सारिणी से यह देखा जा सकता है कि 2010-11 से 2012-13 के दौरान टी एण्ड सी हानियाँ यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्दर थी एवं शेष दो वर्षों में लक्ष्य से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 879.17 करोड़ मूल्य की 2335.34 एम.यू. ऊर्जा की हानि हुई। हमने पाया कि उपर्युक्त अत्यधिक हानियों के उत्तरदायी कारण एलटी प्रणाली का एचटी प्रणाली में परिवर्तित न करना, उपकेन्द्रों पर कैपिसिटर बैंक की स्थापना न करना एवं परिवर्तको की मरम्मत में अधिक लोड लॉस का अनुमन्य करना थे, जिनकी चर्चा आगामी प्रस्तारों 2.2.33 एवं 2.2.34 में की गई है।

dfi fl Vj cld dh LFkki uk u djuk

2-2-33 जैसा कि प्रस्तार 2.2.15 में चर्चा की गई है, 790.56 एमवीएआर³⁶ क्षमता के सीबी की स्थापना न करने के कारण द.वि.वि.नि.लि. प्रति वर्ष ₹ 16.40 करोड़ के मूल्य की ऊर्जा की हानि को नहीं बचा सका, जैसा कि ifjf'k"V 2-2-4 में वर्णित है।

प्रबन्धन ने कहा (जनवरी 2015) कि नये सीबी की स्थापना एवं क्षतिग्रस्त सीबी की प्रतिस्थापना/मरम्मत की कार्यवाही की जा रही थी।

forj .k ifjor bks ds ejTer ea vfk/d ykM ykll vuell; djuk

2-2-34 जैसा कि प्रस्तार 2.2.16 में चर्चा की गई है, 2010-11 से 2013-14 के दौरान डीटी की मरम्मत के लिए प्रदान किये गये ठेकों में अधिक लोड लॉस सीमा अनुमन्य करने के कारण द.वि.वि.नि.लि. 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान मरम्मत किये गये 250 से 1000 केवीए के 347 परिवर्तको पर ₹ 9.07 करोड़ मूल्य की 22.08 एमयू ऊर्जा की बचत करने में विफल रहा।

प्रबन्धन ने कहा (जनवरी 2015) कि परिवर्तको को तत्कालीन उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार लम्बे समय से खरीदा जा रहा था। प्रणाली से पुराने परिवर्तको को हटा देना संभव नहीं था क्योंकि इसमें भारी वित्तीय बोझ शामिल होगा। उत्तर उच्च लोड लॉस अनुमन्य करने के मुद्दे को सम्बोधित नहीं करता है।

fcfyx , oa l xg.k dk; bdkyrk

उपभोक्ताओं के बिलिंग में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा नीचे की गई है :

vYi @vf/kd fcfyx

2-2-35 जैसा कि प्रस्तार 2.2.18 में चर्चा की गई है, शहरी क्षेत्र हेतु ऊर्जा प्रभारों को लागू न करने, लोड फैक्टर छूट को अनुचित रूप से अनुमन्य करने, प्रोटेक्टेड लोड प्रभार को प्रभारित न करना तथा उपभोक्ताओं को अधिक धनराशि का समायोजन प्रदान

³⁴ ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व (राजस्व सब्सिडी को शामिल करते हुए)/विक्रय की गई ऊर्जा

³⁵ 2012-13 की प्रति यूनिट औसत वसूली दर पर गणना की गयी

³⁶ 2.4 एमवीएआर x 1647 एमवीए/5

किये जाने के कारण ₹ 98.17 करोड़ की अल्प बिलिंग हुई 2-2-5। पुनश्च, प्रभारण से मुक्त उपभोक्ताओं पर विद्युत कर के प्रभारण, एचवी-2 उपभोक्ताओं के लिए अक्टूबर 2012 के टैरिफ आदेश का गलत अनुप्रयोग, गलत निर्धारित यूनिटों के आधार पर बिलिंग के कारण ₹ 12.42 करोड़ की अधिक बिलिंग हुई 2-2-10।

व/र; फ/क/द फ/य/ल/द/के/कु

2-2-36 जैसा कि प्रस्तर 2.2.19 में चर्चा की गई है, द.वि.वि.नि.लि. ने 2013-14 में 39946 उपभोक्ताओं³⁷ के बिलों को ₹ 52.24 करोड़ से ₹ 41.22 करोड़ तक संशोधित किया एवं ₹ 11.02 करोड़ माफ किया जो व्यक्तिगत बिल की गई धनराशि में 0.75 प्रतिशत एवं 74.98 प्रतिशत के सीमा के मध्य संशोधन को दर्शाता है, जैसा कि 2-2-6 में वर्णित है।

ज/क/त/ल/ओ/ल/अ/ग/क/द/क/द/क/य/र/क

राजस्व संग्रहण कार्यकुशलता के सम्बन्ध में पाई गई अनियमितताएँ नीचे दी गई हैं:

न/स/द/क/अ/द/ह/वि/ह/क/ओ/ओ/ल/य/ह

2-2-37 जैसा कि प्रस्तर 2.2.21 में चर्चा की गई है, द.वि.वि.नि.लि. में बकाया देयकों एवं उसके सापेक्ष वसूली की स्थिति सारिणी 2.2.10 में दर्शायी गयी है :

ल/क/क/ज/क/अ/द/ह/वि/ह/क/ओ/ओ/ल/य/ह

व/र/द/ज/क/अ/द/ह/वि/ह/क/ओ/ओ/ल/य/ह

Øe l d ; k	fooj .k	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7
1	वर्ष के आरम्भ में बकाया शेष	8782	8991	9393	9697	10230
2	वर्ष के दौरान निर्धारित/बिल किया गया राजस्व	2938	3190	3516	4270	5308
3	वसूली हेतु नियत कुल धनराशि (1+2)	11720	12181	12909	13967	15538
4	वर्ष के दौरान वसूल की गई धनराशि	2298	2522	2986	3448	5102
5	वर्ष के दौरान माफ की गई धनराशि	432	265	226	288	433
6	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	8990	9394	9697	10231	10003
7	कुल देयों के सापेक्ष वसूल की गई धनराशि का प्रतिशत (4/3)	19.61	20.70	23.13	24.69	32.84

ल/क/अ/द/ह/वि/ह/क/ओ/ओ/ल/य/ह

उपर्युक्त सारिणी से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2010 के अन्त में ₹ 8,990 करोड़ के बकाया देयक मार्च 2014 के अन्त में बढ़कर ₹ 10,003 करोड़ (11.27 प्रतिशत) हो गए। यद्यपि इसी अवधि के दौरान संग्रहण कार्यकुशलता 19.61 प्रतिशत से बढ़कर 32.84 प्रतिशत हो गई, फिर भी यह देयकों की अप्रभावी वसूली का घोटक था। पुनश्च, 2010 से 2014 के दौरान बकायों का समाप्त करने के लिए लागू की गई एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना के बावजूद 2013-14 के अन्त में देयकों का संचय दर्शाता है कि द.वि.वि.नि.लि. द्वारा चलाई गये विशेष अभियान भी वांछित परिणाम नहीं दे सके।

प्रबन्धन ने कहा (जनवरी 2015) कि संग्रहण दक्षता में सुधार हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

ओ/ल/य/ह/इ/अ/क/कि/के/के/द/स/ज/क/क/य/फ/ए/र/न/स/द/क/अ/द/ह/वि/ह/क/ओ/ओ/ल/य/ह

2-2-38 जैसा कि प्रस्तर 2.2.22 में चर्चा की गई है, 2010-14 के दौरान 6 इंडीडी³⁸ ने ₹ 40.41 करोड़ मूल्य के 8311 आरसी जिला प्राधिकारियों (डीए) को वसूली हेतु भेजा।

³⁷ एलएमवी - 1,2,4,5 एवं 6 श्रेणियों के उपभोक्ता

³⁸ इंडीडी-I, आगरा, इंडीडी-II, आगरा, इंडीडी-III, फतेहाबाद, आगरा, इंडीडी-I एवं II अलीगढ़ एवं इंडीडी-I, कानपुर

इसमें से 2010-14 के दौरान ₹ 13.34 करोड़ मूल्य की 2111 आरसी उनके द्वारा वापस कर दी गई। इन खण्डों द्वारा आरसी में डीए द्वारा बताई गई कमियों के निराकरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण ₹ 13.34 करोड़ की धनराशि के देयों की वसूली नहीं हुई एवं वसूली की सम्भावना नगण्य है।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं कहा (जनवरी 2015) कि प्रभावी वसूली हेतु, जहाँ भी आवश्यक हो, पुरानी आरसी सुधार के पश्चात जिला प्राधिकारियों को भेजे जा रही है।

mi HkkDrk l rrfV , oa i fjonukvka dk fuokj .k

2-2-39 उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 में प्रावधान है कि डिस्काम्स को नए संयोजनों को समयानुसार जारी करने, नये संयोजन प्रभारों की वसूली कास्ट डाटा बुक (सीडीबी) के अनुसार करने एवं मीटर लगाने इत्यादि में निष्पादन मानकों (एसओपी) का पालन करना चाहिए। आपूर्ति प्रदाय संहिता में उपभोक्ता शिकायतों हेतु सुगम पहुँच एवं उपभोक्ताओं की संतुष्टि हेतु उनके समयानुसार तथा प्रभावी निवारण करने के लिए कॉल सेंटरों की स्थापना का भी प्रावधान है।

उपभोक्ता संतुष्टि एवं शिकायतों के निवारण के मुद्दों से सम्बन्धित अनियमितताओं की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है।

c#nsy[k.M l u[kk jkgr ; kstuk

2-2-40 बुन्देलखण्ड सूखा राहत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र³⁹ में निजी नलकूपों के उर्जीकरण हेतु 6288 संभावित निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए ₹ 99.67 करोड़ का अनुमोदन प्रदान (मार्च 2013) किया। योजना के अन्तर्गत लाइन एवं उपकेन्द्र की लागत हेतु प्रति उपभोक्ता ₹ 158500 की अधिकतम सब्सिडी अनुमन्य थी। सब्सिडी विलम्बतम 31 मार्च 2014 तक प्रयुक्त की जानी थी। योजना के कार्यान्वयन में पाई गई अनियमितताएँ इस प्रकार हैं :

vi z Ør l fcl Mh dk l ei z k u djuk

2-2-41 इडीडी-I एवं इडीडी-II, उरई ने सीडीबी में वर्णित दरों की बजाय यूपीपीसीएल के इश्यू रेट के आधार पर उपभोक्ताओं को प्रभारित किया। इस तरह निरूपित लाइन एवं उपकेन्द्र की लागत की पूर्ति ₹ 1,58,000 की सीमा तक सब्सिडी से की गई तथा सब्सिडी के अतिरिक्त धनराशि उपभोक्ताओं से चार्ज की गई। द.वि.वि.नि. लि. ने वहाँ भी जहाँ लाइन एवं उपकेन्द्र की लागत सब्सिडी धनराशि से कम थी, भारत सरकार को प्रति संयोजन ₹ 1,58,000 से प्रभारित किया। विवरण सारिणी 2.2.11 में दर्शाया गया है:

l kfj . kh&2-2-11

1/2 yk[k e#2

[k.M	mi HkkDrk % a; k%2	i Hkkfjr dh xbz ykbu , oa mi d#inz dh ykxr	Hkkjr l jdkj l s i Hkkj .k ; k% ; l fcl Mh	Hkkjr l jdkj dks i Hkkfjr l fcl Mh	mi HkkDRkk l s i Hkkfjr	mi HkkDRkk l s i Hkkj .k ; k% ;	Hkkjr l jdkj l s vf/kd i Hkkfjr	mi HkkDrk l s vf/kd i Hkkfjr
1	2	3	4	5	6	7	8(5-4)	9(6-7)
ईडीडी-I उरई	235	380.17	254.76	372.48	7.69	0.93	117.72	6.76
ईडीडी-II उरई	339	550.44	360.11	537.31	13.13	0.53	177.20	12.60
dy	574	930.61	614.87	909.79	20.82	1.46	294.92	19.36

l kr % [k. Mka ds i kd dcyu , oa vu#ll/k jftLVj

इस प्रकार सीडीबी के अनुसार प्रभारों को न प्रभारित करने तथा सीडीबी के अनुसार सब्सिडी प्रभारों की पूर्ति सीमित न करने के कारण खण्डों ने ₹ 2.95 करोड़ की

n-fo-fo-fu-fy- us
c#nsy[k.M l u[kk
jkgr ; kstuk ds
v#lrx#r 2013&14 ds
nkjku futh uydii
l a kstuka dk fux#r
djus garq Hkkj r
l jdkj l s i klr
₹ 2-95 dj kM+ dh
l fcl Mh dks vu#pr
: i l s j kcds j [kk , oa
₹ 22-63 dj kM+ dh
l fcl Mh dk l ei z k
ugha fd ; k

³⁹ झांसी, ललितपुर, जालौन (उरई), बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर एवं महोबा जिले।

सब्सिडी अनुचित रूप से रोके रखा एवं उपभोक्ताओं पर ₹ 0.19 करोड़ का अधिक प्रभारण भी किया। पुनश्च, योजना के प्रावधानों⁴⁰ के उल्लंघन में द.वि.वि.नि.लि. ने 1428 जारी न किये संयोजनों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई ₹ 22.63 करोड़ की अप्रयुक्त सब्सिडी का समर्पण नहीं किया।

I fCl Mh dks vfu; fer : i I s voePr djuk

cpny [k. M I [kk
jkgR ;kstuk ds
vUrXr ikr
₹ 3-38 djkm+ dh
I fCl Mh dks
vfu; fer : lk I s
voePr fd; k x; k

2-2-42 बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत तैयार किए निजी नलकूप की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के अनुसार, ईडीडी-II, उरई में निजी नलकूप संयोजनों हेतु 887 आवेदक थे। खण्ड ने 2013-14 के दौरान 339 संयोजन निर्गत किए जिसमें से 213 संयोजन उन उपभोक्ताओं को निर्गत किए गए जो डीपीआर में शामिल नहीं थे जिससे 213 उपभोक्ताओं को अनियमित रूप से ₹ 3.38 करोड़ की सब्सिडी का अनुचित लाभ दिया गया। द.वि.वि.नि.लि. ने, अधीक्षण अभियन्ता, ईडीसी, उरई द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन (मार्च 2014) में सब्सिडी के दुरुपयोग को इंगित करने के बावजूद, इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

प्रबन्धन ने कहा (जनवरी 2015) कि योजना के पूर्ण होने पर अधिक धनराशि के समायोजन यदि कोई हो, के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी। इन्होंने आगे बताया कि निजी नलकूप संयोजनों के निर्गमन में अनियमितताओं के लिए तकनीकी ग्रेड-II के एक कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है तथा एक अनुबंधित कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं।

प्रबन्धन के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि योजना 31 मार्च 2014 को बन्द हो गई थी तथा भारत सरकार को 30 जून 2014 तक अन्तिम समायोजन प्रस्तुत किया जाना था जो कि नहीं किया गया। निजी नलकूप संयोजनों के निर्गमन में अनियमितताओं से सम्बन्धित उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धन द्वारा की गई कार्यवाही सब्सिडी के अनुचित उपयोग को सम्बोधित नहीं करता है।

ehVj dh LFkki uk u djuk

2-2-43 जैसा कि प्रस्तर 2.2.24 में चर्चा की गई है, द.वि.वि.नि.लि. में कुल उपभोक्ता, मीटर्ड उपभोक्ताओं के साथ-साथ अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की स्थिति सारिणी 2.2.12 में दर्शायी गयी है :

I kfj . kh&2-2-12

o'kZ	mi HkkDrkvka dh I d; k	ehVMZ mi HkkDRkk	vuehVMZ mi HkkDRkk	vuehVMZ mi HkkDRkkvka dk i fr'kr
1	2	3	4 (2-3)	5
2009-10	2137858	-	-	-
2010-11	2056873	1377110	679763	33.05
2011-12	2280313	1524021	756292	33.17
2012-13	2426261	1672256	754005	31.08
2013-14	2566021	1799401	766620	29.88

I kr % n-fo-fo-fu-fy- jkjk inkr I upuk

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 2010-11 के अन्त तक अनमीटर्ड उपभोक्ता 33.05 प्रतिशत थे जो 2013-14 के अन्त में धीरे-धीरे घटकर 29.88 प्रतिशत हो गए।

हमने विद्यमान अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के कारणों को विश्लेषित किया और हमारी परीक्षण जाँच में 50 इडीडी में से 12 में पाया कि द.वि.वि.नि.लि. ने 2010-14 के दौरान एलएमवी-I उपभोक्ताओं के 57,203 संयोजनों तथा एलएमवी-5 उपभोक्ताओं के 16310 संयोजनों को बिना मीटर की स्थापना के ही निर्गत किया। हमने पुनश्च: देखा कि 2010-14 के दौरान उपभोक्ताओं से मीटर की धनराशि क्रमशः ₹ 2.59 करोड़ एवं

⁴⁰ उ0प्र0 सरकार के आदेश सं0 1188 (1)/35-अअ-1/2013 का वाक्य 5

₹ 8.83 करोड़ जमा करा लेने के बाद भी उपर्युक्त संयोजनों पर मीटर स्थापित नहीं किए गए।

प्रबन्धन ने कहा (जनवरी 2015) कि मीटरों की क्रय एवं स्थापना की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

I jvj dks l e; ij LFkkfir djus ea foQyrk

2-2-44 जैसा कि प्रस्तर 2.2.25 में चर्चा की गई है, द.वि.वि.नि.लि. ने सात वर्षों की देरी से 2012 में एक सीसीसी की स्थापना की जिसके कारणों को अभिलेखों पर नहीं पाया गया। पुनश्च: अप्रैल 2012 से मार्च 2014 के दौरान प्राप्त कुल 4863 शिकायतों में से 1646 (33.85 प्रतिशत) शिकायतें अनिस्तारित रही हैं। इसके लिए कोई भी कारण दर्ज नहीं थे।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं कहा (जनवरी 2015) कि लंबित शिकायतों का निपटारा अगले दो माह में कर दिया जाएगा। इन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न शहरों में सीसीसी खोलने के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

i jvj dks l e; ij LFkkfir djus ea foQyrk

2-2-45 पू.नि.वि.वि.लि. 21 जिलों में फैले हुए 38.10 लाख उपभोक्ताओं की विद्युत वितरण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है (मार्च 2014)। लेखापरीक्षा उद्देश्य वार वर्गीकृत लेखापरीक्षा जाँच परिणामों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है :

forj.k ra= dh i; krrk

पू.नि.वि.वि.लि. द्वारा वितरण तंत्र के विकास से सम्बन्धित मामलों की चर्चा नीचे की गई है :

2-2-46 जैसा कि प्रस्तर 2.2.7 में चर्चा की गई है, पू.वि.वि.नि.लि. के सम्बन्ध में विद्यमान एवं आवश्यक ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता तथा क्षमता में विद्यमान कमी की स्थिति i jvj'k"V 2-2-1 , 0a 2-2-2 में वर्णित है तथा सारिणी 2.2.13 में संक्षेप में बताया गया है :

I kfj . kh&2-2-13

क्र. सं.	विवरण	क्षमता (किलोवाट, %)
1	अप्रैल 2009 को विद्यमान ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता	5176
2	अप्रैल 2009 को आवश्यक ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता	9110
3	अप्रैल 2009 को ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में कमी (पंक्ति : 2-1)	3934
4	मार्च 2014 को विद्यमान ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता	6531
5	मार्च 2014 को आवश्यक ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता	13891
6	मार्च 2014 को ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में कमी (पंक्ति : 5-4)	7360
7	2009-10 से 2013-14 के दौरान वृद्धि हेतु आवश्यक ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (पंक्ति : 5-पंक्ति :1)	8715

I kr % i jvj'k"V 2-2-1 , 0a 2-2-2 में वर्णित है तथा सारिणी 2.2.14

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि अप्रैल 2009 की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में 3,934 एमवीए की कमी मार्च 2014 में बढ़कर 7,360 एमवीए हो गई। यह इस बात का संकेतक था कि पू.वि.वि.नि.लि. की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता अतिभारित चल रही थी और सम्पूर्ण वितरण तंत्र के लिए खतरा उत्पन्न कर रही थी। ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में विद्यमान कमी के कारणों को सुनिश्चित करने के लिए हमने नियोजन हेतु आवश्यक क्षमता, नियोजित क्षमता के साथ-साथ प्राप्त की गई क्षमता से सम्बन्धित आँकड़ों को विश्लेषित किया जैसा कि i jvj'k"V 2-2-1 , 0a 2-2-2 में वर्णित है तथा सारिणी 2.2.14 में संक्षेप में बताया गया है।

I kfj . kh&2-2-14

Øe l Ø	fooj . k	{kerk ¼, eoh, ½
1	2009-10 से 2013-14 के दौरान नियोजन हेतु आवश्यक ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता	8715
2	2009-10 से 2013-14 के दौरान नियोजित क्षमता	1678
3	2009-10 से 2013-14 के दौरान की गई क्षमता वृद्धि	1355
4	नियोजित क्षमता वृद्धि के सापेक्ष कमी {(पंक्ति : 2-3)*100/पंक्ति 2)}	323 (19%)
5	मार्च 2014 को क्षमता में कमी {(पंक्ति : 1-3)*100/पंक्ति 1)}	7360 (84%)

I kR % i wfo-fo-fu-fy- }kjk i nkr l puk

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि :

- नियोजन एवं वृद्धि हेतु आवश्यक 8715 एमवीए की क्षमता के सापेक्ष पू.वि.वि.निलि. ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान क्रमशः 1678 एमवीए एवं 1335 एमवीए का नियोजन एवं वृद्धि की। परिणामस्वरूप, मार्च 2014 में पू.वि.वि.निलि. की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में अपर्याप्त नियोजन के कारण 7360 एमवीए (84 प्रतिशत) की कमी थी। अपर्याप्त नियोजन का कारण पू.वि.वि.निलि. द्वारा एकीकृत वार्षिक नियोजन तैयार करने के बजाय तदर्थ आधार पर नियोजन करना था।

- पुनश्चः, पू.वि.वि.निलि. 1678 एमवीए की नियोजित क्षमता वृद्धि प्राप्त करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 2009-10 से 2013-14 के दौरान 323 एमवीए (19 प्रतिशत) की कमी रही। उपर्युक्त कमी के कारणों को इंगित नहीं किया जा सका क्योंकि पू.वि.वि.निलि. ने विस्तृत रूप में सम्बन्धित सूचना प्रस्तुत नहीं की।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2014) कि 80 प्रतिशत ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एसएस एवं लाइन के निर्माण हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नियोजन किया गया था। तथ्य फिर भी शेष रह जाता है कि पू.वि.वि.निलि. अपनी स्वयं की योजना को पूरा नहीं कर सका।

Bds dk; l dks i nku djuk

2-2-47 जैसा कि प्रस्तर 2.2.8 में चर्चा की गयी है, ठेके कार्य को प्रदान करने में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है :

mPp i Øst nj dks i nku djuk

2-2-48 जैसा कि प्रस्तर 2.2.10 में चर्चा की गई है, दरों का विश्लेषण न करने के कारण 2009-10 से 2013-14 के दौरान 10,952 डीटी के मरम्मत पर ₹ 3.34 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

, poh@, yoh Dok; y ij oM dk vf/kd Hkxrk

2-2-49 जैसा कि प्रस्तर 2.2.11 में चर्चा की गई है, आयुक्त, व्यापार कर के निर्णय के विरुद्ध प्रतिवाद न करने से 2009-10 से 2013-14 के दौरान मरम्मतकर्ता फर्मों को अधिक दरों⁴¹ पर वैट के मद में ₹ 6.13 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

i fjpkjuh; dk; ddkyrk

परिचालन कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले मामलों की चर्चा नीचे की गई है :

mi & i kjsk.k , oa forj . k gkfu; k

2-2-50 जैसा कि प्रस्तर 2.2.13 में चर्चा की गई है, विक्रय के लिए उपलब्ध ऊर्जा की तुलना में बिल की गई ऊर्जा की स्थिति एवं पू.वि.वि.निलि. द्वारा वहन की गई टीएण्डसी हानियों के साथ-साथ यूपीईआरसी द्वारा नियत की गई हानियों की सीमा को सारिणी 2.2.15 में दर्शाया गया है :

⁴¹ 2009-10 : 13 प्रतिशत, 2010-11 से 2012-13 : 13.5 प्रतिशत एवं 2013-14 : 14 प्रतिशत

Lkkfj . kh&2-2-15

Øe l ¼; k	fooj .k	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (vuflire)
1	2	3	4	5	6	7
1.	क्रय की गई ऊर्जा	12701	14012	15704	16034	13830
2.	विक्रय की गई ऊर्जा	9597	10442	11590	11920	10448
3.	ऊर्जा हानियाँ (1 – 2)	3104	3570	4114	4114	3382
4.	ऊर्जा हानियों की प्रतिशतता {(3 / 1) x 100}	24.44	25.48	26.20	25.66	24.45
5.	यूपीईआरसी द्वारा नियत सीमा (प्रतिशत)	22.50	25.48	26.53	24.53	22
6.	अधिक हानियाँ (एमयू में)	246.40	लागू नहीं	लागू नहीं	181.18	338.84
7.	प्रति यूनिट औसत वसूली दर (₹ में) ⁴²	3.59	लागू नहीं	लागू नहीं	4.25	4.25 ⁴³
8.	अधिक हानियों का मूल्य (₹ करोड़ में) (6 x 7)	88.46	लागू नहीं	लागू नहीं	77.00	144.00

I kr % i wfo-fu-fy- }jkk inRr l puk

उपर्युक्त सारिणी से यह देखा जा सकता है कि 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान टीएण्डसी हानियाँ यूपीईआरसी द्वारा नियत सीमा के अन्दर थीं एवं शेष तीन वर्षों में सीमा से अधिक थीं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 309.46 करोड़ मूल्य की 766.42 एमयू ऊर्जा की हानि हुई। हमने देखा कि उपर्युक्त अत्यधिक हानियों के उत्तरदायी कारण एलटी प्रणाली को एचटी प्रणाली में परिवर्तित न करना, उपकेन्द्रों पर कैपिसिटर बैंक की स्थापना न करने से सम्बन्धित थे, जिसकी चर्चा आगामी प्रस्तारों 2.2.51 एवं 2.2.52 में की गई है।

yk&Vā ku ¼, yVh½ dks gkb&Vā ku ¼, pVh½ iz kkyh ea ifjofr r u djuk

2-2-51 जैसा कि प्रस्तर 2.2.14 में चर्चा की गई है, 2009-10 के प्रारम्भ में 1.16 लाख किलोमीटर एचटी लाइन तथा 3.69 लाख किलोमीटर एलटी लाइन थी। पू.वि.वि.नि.लि. ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान 13,798 किलोमीटर एचटी लाइन के लक्ष्य के सापेक्ष 13,798 किलोमीटर एचटी लाइन (12 प्रतिशत) एवं 10,478 किलोमीटर एलटी लाइन के लक्ष्य के सापेक्ष 10,478 किलोमीटर एलटी लाइन (2.84 प्रतिशत) का निर्माण किया। यह इस बात को संकेतक था कि पू.वि.वि.नि.लि. का फोकस एलटी प्रणाली को कम करने पर नहीं था।

dfi fl Vj cā d dh LFkki uk u djuk

2-2-52 जैसा कि प्रस्तर 2.2.15 में चर्चा की गई है, 740.64 एमवीएआर⁴⁴ क्षमता के कैपिसिटर बैंक की स्थापना न करने के कारण पू.वि.वि.नि.लि. प्रतिवर्ष ₹ 15.37 करोड़ मूल्य की ऊर्जा की हानि को नहीं बचा सका जैसा कि ifjf'k"V 2-2-4 में वर्णित है।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) और कहा कि बेहतर निष्पादन प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक कार्य एवं क्रियाकलाप किए जा रहे थे।

fcfyx , oa l xg.k dk; bdqkyrk

बिलिंग से सम्बन्धित अनियमितताओं की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है :

vYi @vf/kd fcfyx

2-2-53 जैसा कि प्रस्तर 2.2.18 में चर्चा की गई है, लोड फैक्टर रिबेट को अनुचित रूप से अनुमन्य करने तथा डिमान्ड प्रभारों एवं ऊर्जा प्रभारों के गलत अनुप्रयोग के कारण

⁴² ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व (राजस्व सब्सिडी को शामिल करते हुए)/विक्रय की गई निवल ऊर्जा

⁴³ 2012-13 की प्रति यूनिट औसत वसूली दर के आधार पर आगणित

⁴⁴ 2.4 एमवीएआर x 1543 एमवीए/5

₹ 1.02 करोड़ की अल्प बिलिंग हुई 11 f'k"V 2-2-5½। पुनश्च, एलटी अधिभार/ पावर फैक्टर अधिभार का प्रभारण, प्रोटेक्टिव लोड प्रभारों को गलत तरीके से लागू करने, अक्टूबर 2012 के टैरिफ आदेशों के गलत अनुप्रयोग तथा ईडी से मुक्त उपभोक्ताओं पर ईडी के प्रभारण के कारण ₹ 1.58 करोड़ की अधिक बिलिंग हुई 11 f'k"V 2-2-10½।

vR; f/kd fcy I d kks/ku

2-2-54 जैसा कि प्रस्तर 2.2.19 में चर्चा की गई है, पू.वि.वि.नि.लि. ने 2013-14 में 8413 उपभोक्ताओं⁴⁵ के बिलों को ₹ 5.55 करोड़ से ₹ 1.18 करोड़ तक संशोधित किया एवं

₹ 4.37 करोड़ माफ किया जैसा कि 11 f'k"V 2-2-6 में वर्णित है। अलग-अलग बिल की गई धनराशि में संशोधन की प्रतिशतता 9.79 प्रतिशत एवं 95.09 प्रतिशत के मध्य रही। इसके कारण राजस्व की देय धनराशि की वसूली में देरी हुई।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2014) कि बिल संशोधन एक निरन्तर प्रक्रिया है। यद्यपि खण्ड स्तर पर अधिक/गलत बिलिंग को नियन्त्रित करने के लिए कार्यवाही की जा रही थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिल की गई धनराशि में 95 प्रतिशत तक की सीमा तक संशोधन गलत बिलिंग का घोटक है जिसमें नियन्त्रण की आवश्यकता है।

jktLo I xg.k dk; bdkyrk

राजस्व संग्रहण कार्यकुशलता के सम्बन्ध में पाई गई अनियमितताएँ नीचे दी गई हैं :

ns ka dh vi Hkkoh ol wyh

2-2-55 जैसा कि प्रस्तर 2.2.21 में चर्चा की गई है, बकाया देयों एवं उसके सापेक्ष वसूली की स्थिति सारिणी 2.2.16 में दर्शायी गई है।

Lkkfj . kh&2-2-16

₹ djkM+ e#

Øe l d; k	fooj .k	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7
1	वर्ष के आरम्भ में बकाया शेष	9295	9486	10175	11032	11983
2	वर्ष के दौरान निर्धारित/बिल किया गया राजस्व	2620	3239	3613	4035	5079
3	वसूली हेतु नियत कुल धनराशि (1+2)	11915	12725	13788	15067	17062
4	वर्ष के दौरान वसूल की गई धनराशि	2060	2160	2446	2794	5785
5	वर्ष के दौरान माफ की गई धनराशि	368	390	310	290	1615
6	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	9487	10175	11032	11983	9662
7	कुल देयों के सापेक्ष वसूल की गई धनराशि का प्रतिशत (4/3)	17.29	16.97	17.74	18.54	33.91

I kx % i mfo-to-fu-fy- }jkk inkr I puk

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2010 के अन्त में ₹ 9,487 करोड़ के बकाया शेष मार्च 2014 के अन्त में बढ़कर ₹ 9,662 करोड़ (1.84 प्रतिशत) हो गए। इसी अवधि के दौरान संग्रहण दक्षता यद्यपि 17.29 प्रतिशत से बढ़कर 33.91 प्रतिशत हो गई फिर भी यह पू.वि.वि.नि.लि. द्वारा देयों की अप्रभावी वसूली का घोटक था। पुनश्च, 2009-10 से 2013-14 के दौरान बकायों को समाप्त करने के लिए लागू की गई एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना के बावजूद 2013-14 के अन्त में देयों का संचय दर्शाता है कि पू.वि.वि.नि.लि. द्वारा चलाए गए विशेष अभियान भी वांछित परिणाम नहीं दे सके।

⁴⁵ एलएमवी - 1,2,4,5 एवं 6 श्रेणियों के उपभोक्ता

mi HkkDRkk l r'f"V , oa i fjonukvka dk fuokj .k

उपभोक्ता संतुष्टि एवं शिकायतों के निवारण के मुद्दों से सम्बन्धित अनियमितताओं की चर्चा नीचे की गई है :

ehVj dh LFKki uk u djuk

2-2-56 जैसा कि प्रस्तर 2.2.24 में चर्चा की गई है, पू.वि.वि.नि.लि. में कुल उपभोक्ता मीटर्ड उपभोक्तों के साथ-साथ अनमीटर्ड उपभोक्तों की स्थिति सारिणी 2.2.17 में दर्शायी गई है :

Lkkfj .kh&2-2-17

o"k	mi HkkDrkvka dh l a; k	ehVMZ mi HkkDrk	vuehVMZ mi HkkDrk	vuehVMZ mi HkkDrkvka dk i fr'kr
1	2	3	4 (2-3)	5
2009-10	2912000	1253387	1658613	56.96
2010-11	3123000	1334503	1788497	57.27
2011-12	3314000	1437643	1876357	56.62
2012-13	3575000	1539168	2035832	56.95
2013-14	3810000	1587982	2222018	58.32

lkr % i wo-to-fu-fy- j'kk i nkr l'puk

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 2009-10 के अन्त में अनमीटर्ड उपभोक्ता 56.96 प्रतिशत थे जो 2013-14 के अन्त में बढ़कर 58.32 प्रतिशत हो गए।

हमने विद्यमान अनमीटर्ड उपभोक्तों के कारणों को विश्लेषित किया और हमारी परीक्षण जाँच की 66 ईडीडी में से 14 में पाया कि पू.वि.वि.नि.लि. ने 2010-14 के दौरान एलएमवी-1 उपभोक्ताओं के 1,28,930 संयोजनों तथा एलएमवी-5 उपभोक्ताओं के 15,771 संयोजनों को बिना मीटर की स्थापना के ही निर्गत कर दिया। हमने आगे देखा कि 2010-14 के दौरान उपभोक्ताओं से मीटर की धनराशि क्रमशः ₹ 7.28 करोड़ एवं ₹ 8.89 करोड़ जमा करा लेने के बाद भी उपर्युक्त संयोजनों पर मीटर स्थापित नहीं किए गए।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2014) कि मीटर की स्थापना के बिना विद्युत की आपूर्ति, मीटरों की अनुपलब्धता तथा मीटरों को स्थापित करने हेतु जनशक्ति की कमी, के कारण थी।

l'vVy dkkly l'vVj dks l e; ij LFKkfi r djusea foQyrk

2-2-57 जैसा कि प्रस्तर 2.2.25 में चर्चा की गई है, दो शहरों यथा वाराणसी एवं इलाहाबाद जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी, वहाँ पू.वि.वि.नि.लि. द्वारा सेन्ट्रल कॉल सेन्टर स्थापित किया जाना आवश्यक था।

हमने देखा कि पू.वि.वि.नि.लि. ने सात वर्षों की देरी से 2012 में वाराणसी में एक सीसीसी की स्थापना की, विलम्ब के कारणों को अभिलेखों में नहीं पाया गया। पुनश्च, क्योंकि पू.वि.वि.नि.लि. ने सम्बन्धित सूचना प्रस्तुत नहीं की अतः उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के मामलों को इंगित नहीं किया जा सका।

vfhkys'kka dks i l'rr u djuk

2-2-58 द.वि.वि.नि.लि. द्वारा जे.पी. इन्फ्राटेक को दिए गए ₹ 5.50 करोड़ के समायोजन का सत्यापन करने के लिए क्रियान्वित किए गये कार्यों के साथ-साथ अनुबन्धों⁴⁶ के सापेक्ष लंबित देयताओं से सम्बन्धित अभिलेख एवं म.वि.वि.नि.लि., द.वि.वि.नि.लि. एवं पू.वि.वि.नि.लि. द्वारा वर्ष 2013-14 का कम्प्यूटराइज्ड बिलिंग डाटा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

⁴⁶ जेएसपी कन्सल्टेशन कम्पनी, गाजियाबाद, फेबिको कम्पनी, मेरठ, सिंह एण्ड सिंह कम्पनी मथुरा, आयुष्मान कन्सल्टेशन एवं किशोर ट्रेडर्स, आगरा।

fu"d"kl

fMLdKEI dh fu"iknu ys[kkijh{kk ds vk/kkj ij ge fu"d"kl ij igþrs gs fd %

- {kerk of) ds fy, vi ; klr fu; kstu@fu; kstu u djus ds dkj.k eþþ 2014 ea e-fo-fo-fu-fy-] n-fo-fo-fu-fy- , oa i wfo-fo-fu-fy- ea VklU Okei ku {kerk ea Øe'k% 77 ifr'kr] 66 ifr'kr , oa 84 ifr'kr dh deh FkhA ifj.kkeLo: i fMLdKEI dh VklU Okei ku {kerk vfrHkkfjr py jgh FkhA bl ds vfrfjDr e-fo-fo-fu-fy- , oa i wfo-fo-fu-fy- }kjk fu; kstr {kerk of) Øe'k% 24 ifr'kr rFkk 19 ifr'kr l s de iklr gþA
- forj.k ifjorðka MhVh½ dh ejEer ij ejEerdrkz Oeka dh mPp i sdst nj inku djus ds dkj.k ₹ 17-08 djkm+ dk vf/kd 0; ; gþka bl ds vfrfjDr] fMLdKEI us MhVh dh ejEer ij oS ds en ea ₹ 17-48 djkm+ dk vf/kd Hkqrku fd; k (
- e-fo-fo-fu-fy-] n-fo-fo-fu-fy- , oa i wfo-fo-fu-fy- ea 2010&14 ds nkj ku rduhdh , oa okf.kfT; d Mh, .MI h½ gkfu; k; Øe'k% 22-64 l s 28-02 ifr'kr] 21 l s 34-60 ifr'kr , oa 24 l s 26 ifr'kr dh l hek ds vlrxr FkhA fMLdKEI ; i hbzvklh }kjk fu; r l hek ds vlrxr Vh, .MI h gkfu; ka dks fu; fu=r djrs gq viuh ifjpkjuh; dk; ðdkyrk ea l qkkj ykus ea foQy jgA bl l hek l s vkxs gþz gkfu; ka dk eW; ₹ 1446-83 djkm+ fudkyk x; k Fkka fMLdKEI dsi fl Vj cd dh LFkki uk u djus ds dkj.k ₹ 47-81 djkm+ eW; dh Åtkz dh cpr djus ea Hkh foQy jgs (, oa
- fMLdKEI mi HkkDrkvka dks ykxw i ko/kkuka ds vuq kj fcy tkjh djus ea foQy jgs ftl ds ifj.kkeLo: i ₹ 102-23 djkm+ dh vYi fcfyæ , oa ₹ 14 djkm+ dh vf/kd fcfyæ gþA